संख्या–1335/15–8–2022–2005(9)/2018

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0 लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–8 : लखनऊ : दिनांकः 05 सितम्बर, 2022

विषयः–माध्यमिक विद्यालयों में योग्यता को बढ़ावा देने हेतु राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में निर्धारित गाइड–लाइन्स में संशोधित नवीन निर्धारित नीति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–शिविर/3069/2022–23 दिनांक 09.05.2022 एवं पत्रांक–शिविर/6683/2022–23 दिनांक 02.06.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में नीति निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–400/15–8–2020–2005(9)/2018 दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं शासनादेश संख्या–1200/15–8–2018–2005(3)/2018 दिनांक 20.11.2018 द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में दिशा निर्देश/नीति निर्धारित की गयी है।

3– उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें पाठ्यक्रमीय अध्यापन हेतु योजित शिक्षकों तथा पाठ्य–सहगामी क्रियाकलापों को कराने वाले शिक्षकों का समान योगदान होता है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के मानक एक समान थे, मानकों में अन्तर न होने के कारण अध्यापकों को समान प्रतिनिधित्व नही मिल पा रहा था। पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा अध्यापकों में उत्कृष्ट शिक्षक होने के लिये प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना है। अतएवं पुरस्कारों को प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यपक/अध्यापक के समान प्रतिनिधित्व हेतु विषयवार/वर्गवार पुरस्कारो की संख्या एवं तद्नुरूप मानकों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता पायी गयी।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को संलग्नक–1 के अनुसार राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालय (वित्तविहीन) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को संलग्नक–2 के अनुसार मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किये जाने हेतु उनके चयन हेतु दिशा निर्देश/नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

शिक्षा निदेशक (मा0)
उत्तर प्रदेश लखनऊ

771 | B.Draft

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं बैठक मे प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।

1— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।(द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0)

2— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।(द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0)

3— अपर शिक्षा निदेशक(मा0)/राजकीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

4— समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक।(द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0)

5— समस्त उप शिक्षा निदेशक।(द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0)

6— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक।(द्वारा शिक्षा निदेशक(मा0)

7— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त योजना के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु प्रेषित।

8— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

9— निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

10— गोपन अनुभाग—1 को उनके अशासकीय पत्र संख्या—4/2/13/2022—सी0एक्स0(1) दिनांक 30.08.2022 के संदर्भ में।

11—गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था</th><th>नवीन व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान करने हेतु राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टर कालेजों/सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के नियमित सेवारत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के चयन हेतु विचार किया जायेगा।</td><td>1.शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 05 सितम्बर के अवसर पर राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान करने हेतु राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टर कालेजों/सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों के नियमित सेवारत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के चयन हेतु विचार किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 09 होगी।</td><td>2. राज्य अध्यापक पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के18 अभ्यर्थियों को दिया जायेगा :–
(1) प्रधानाचार्य–02, (2) प्रधानाध्यापक–02, (3) भाषा शिक्षक–03, (4) गणित शिक्षक–02 (5) विज्ञान वर्ग के शिक्षक–03, (6) मानविकी वर्ग के शिक्षक–03, (7) कृषि, वाणिज्य, कला संगीत तथा व्यायाम शिक्षक)–03 (कुल संख्या 18)
औचित्यः–
वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था में सभी विषयों के अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार में समान अवसर नही मिल पाता था, अध्यापकों की संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये विषयवार पुरस्कारों की संख्या निर्धारित की गयी।
विद्यालयों के उचित संचालन एवं विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास के लिये प्रत्येक विषय/वर्ग के अध्यापकों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। अतः उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विषयक/वर्ग के अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।
राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयनित प्रति प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को सम्मान स्वरूप रू0 25,000/–(रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि,शॉल, स्मृति चिन्ह आदिप्रदान की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु पात्र प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के चयन हेतु निम्नवत् चयन समिति गठित हैं :–
<u>राज्य स्तरीय चयन समिति</u><table><tr><td>1</td><td>प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>2</td><td>विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>3</td><td>संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>4</td><td>एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नामित एक प्रतिनिधि</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>5</td><td>शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0</td><td>सदस्य सचिव</td></tr></table></td><td>3.राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु पात्र प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के चयन हेतु निम्नवत् चयन समिति गठित की जायेगी :–
<u>राज्य स्तरीय चयन समिति</u><table><tr><td>1</td><td>अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन</td><td>–</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>2</td><td>विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>3</td><td>संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>4</td><td>निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि</td><td>–</td><td>सदस्य</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था</th><th>नवीन व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>
—

<u>मण्डल स्तरीय चयन समिति</u>
<table>
<tr><td>1</td><td>मण्डलायुक्त</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक(मा0)</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जिला विद्यालय निरीक्षक</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
<u>जनपद स्तरीय चयन समिति</u>
<table>
<tr><td>1</td><td>जिलाधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मुख्य विकास अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>उप जिलाधिकारी, सम्बन्धित तहसील</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>जिला विद्यालय निरीक्षक</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जनपद के राजकीय इण्टर कालेज (बालक /बालिका) का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य /प्रधानाचार्या</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>5</td><td>शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0।</td><td>—</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table>
<u>निदेशालय स्तरीय चयन समिति</u>
<table>
<tr><td>1</td><td>शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0।</td><td>—</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अपर शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 प्रयागराज।</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अपर शिक्षा निदेशक(राज0), उ0प्र0 प्रयागराज।</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>संयुक्त शिक्षा निदेशक(शिविर), शिविर कार्यालय उ0प्र0, लखनऊ</td><td>—</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>5</td><td>सचिव, उ0प्र0 मा0शि0परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
<u>मण्डल स्तरीय चयन समिति</u>
<table>
<tr><td>1.</td><td>मण्डलायुक्त</td><td>—</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक</td><td>—</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>सम्बन्धित जनपद का जिला विद्यालय निरीक्षक</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मण्डलायुक्त द्वारा नामित मण्डल में अवस्थित विश्वविद्यालय/राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का संबंधित विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर।</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
<u>जनपद स्तरीय चयन समिति</u>
<table>
<tr><td>1.</td><td>जिलाधिकारी</td><td>—</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मुख्य विकास अधिकारी</td><td></td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जिला विद्यालय निरीक्षक</td><td>—</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>जनपद मुख्यालय के राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, जो स्वयं आवेदक न हों</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में अवस्थित विश्वविद्यालय/राजकीय/सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय का संबंधित विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर।</td><td>—</td><td>सदस्य</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>
प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार का चयन निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा :-
<table>
<tr><td>1</td><td>ऑनलाइन आवेदन</td><td>—</td><td>15 अप्रैल से 15 मई तक</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त</td><td>—</td><td>16 मई से 15 जुलाई</td></tr>
</table>
</td><td>
4.प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार का चयन निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा :-
<table>
<tr><td>1.</td><td>ऑनलाइन आवेदन</td><td>01 जून से 15 जून तक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का</td><td>16 जून से</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था</th><th>नवीन व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>आवेदनों का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर पात्र अध्यापकों का चयन कर मण्डलीय समिति को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।</td><td></td><td>तक</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मण्डलीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति के सदस्य सचिव (शिक्षा निदेशक(मा0) को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।</td><td>–</td><td>16 जुलाई से 31 जुलाई तक</td></tr>
<tr><td>4</td><td>राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन कार्यवाही</td><td>–</td><td>01 अगस्त से 20 अगस्त तक</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर पात्र अध्यापकों का चयन कर मण्डलीय समिति को प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित करना</td><td>05जुलाई तक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>मण्डलीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर निदेशालय स्तरीय चयन समिति को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना</td><td>06 जुलाई से 20 जुलाई तक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति को ऑनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना</td><td>21 जुलाई से 05 अगस्त तक</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन की कार्यवाही</td><td>06 अगस्त से 20 अगस्त तक</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>
आवेदन का माध्यम :– आन–लाइन, वेबसाइट http://madhymikshiksha.upsdc.gov.in//

अर्हताएं:–
• प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के लिए कुल सेवावधि 15 वर्ष होगी, जिसमें से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
• अध्यापकों के लिए 10 वर्ष नियमित सेवा अवधि मान्य होगी। (अवधि की गणना आवेदन वर्ष के पूर्व शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च को आगणित की जायेगी)

दिशा–निर्देश :– जनपदीय समिति द्वारा पुरस्कार चयन की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :–
1) राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए जनपद स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित 02 समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
2) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मैट्रिक्स के सम्बन्ध में प्रस्तुत संगत अभिलेखों का सत्यापन जनपद स्तरीय उप समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर किया जायेगा।
3) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 40: निर्धारित हैं। जनपदीय उप समिति द्वारा वर्णित व्यवस्थानुसार तथा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मैट्रिक्स के सम्बन्ध में संगत अभिलेखों से सत्यापन के उपरान्त न्यूनतम अर्हकारी अंक 40: या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा जनपद स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के आधार पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त 03 अभ्यर्थियों के आवेदन
</td><td>
आवेदन का माध्यम– आन–लाइन, वेबसाइट http://madhymikshiksha.upsdc.gov.in//

अर्हताएं:–
• प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों के लिए कुल सेवावधि 15 वर्ष होगी, जिसमें से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
• अध्यापकों के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन प्रदेश में संचालित 10 वर्ष की नियमित सेवा अवधि मान्य होगी।
• अवधि की गणना आवेदन वर्ष के पूर्व शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च को आगणित की जायेगी।
• केन्द्र अथवा अन्य राज्य सरकारों के अधीन राजकीय/सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नियमित रूप से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के पद की सेवा अवधि मान्य होगी परन्तु पुरस्कार का चयन के संबंध मे आकलन प्रदेश मे किये गये शिक्षण कार्य के आधार पर किया जायेगा।

7. दिशा–निर्देश :– जनपदीय समिति द्वारा पुरस्कार चयन की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :–
1) राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से आवेदन–पत्र प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित 02 समाचार–पत्रों में प्रदेश स्तर से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
2) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के विद्यालय का तथा आवेदक शिक्षक के विशय का गत पॉच वर्शों में बोर्ड परीक्षाफल प्रत्येक वर्ष में 90 प्रतिशत से कम न हो।
3) प्रत्येक मूल्यांकन मानक के सम्बन्ध में संगत अभिलेख/प्रमाण–पत्र आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा आवेदन के साथ ऑनलाइन संलग्न किया जायेगा।
4) आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा
</td></tr>
</table>

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3
	संस्तुति सहित मण्डलीय चयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा तथा मण्डलीय चयन समिति द्वारा जनदीय चयन समिति से संस्तुत अभ्यर्थियों में से प्रत्येक मण्डल से सर्वश्रेश्ठ 02 अभ्यर्थियों की संस्तुति सहित आवेदन राज्य चयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा। 4) नियमित सेवावधि का विवरण, प्रथम नियुक्ति तिथि सहित कुल अध्यापन अवधि का स्प्ष्ट शब्दों में उल्लेख किया जायेगा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। 5) प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के लिए विद्यालय से सम्बन्धित सभी कक्षाओं की छात्र संख्या तथा विगत 03 वर्षो का बोर्ड परीक्षाफल, उनके द्वारा अध्यापित विषय का परीक्षाफल एवं अध्यापित विषय पर नवीनतम शोध इत्यादि का विवरण एवं अभिलेख निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन–पत्र के साथ आन–लाइन अपलोड किया जायेगा। संबंधित षिक्षकगण द्वारा अपने उत्कृश्ट कार्यो के संबंध में अधिकतम 5 मिनट का वीडियों अपलोड किया जायेगा। कोई भी अभिलेख आफ–लाइन स्वीकार नही किये जायेगें। 6) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज के संचालित परीक्षाओं में यदि डिबार किया गया है अथवा विभाग द्वारा किसी प्रकरण में दण्डित किया गया हों अथवा उनके कार्यो के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई हो, तो राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु अनर्ह माना जायेगा। 7) प्रत्येक प्रकरण के साथ जनपदीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं संस्तुति अध्यक्ष तथा सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम की मुहर सहित प्रेषित की जाय। बैठक की कार्यवाही का विधिवत कार्यवृत्त बनाया जाये तथा सील्ड कवर में रखकर मण्डलीय चयन समिति को प्रेशित किया जाय। इसी प्रकार मण्डलीय चयन समिति द्वारा भी बैठक की कार्यवाही का विधिवत कार्यवृत्त बनाया जाय तथा सील्ड कवर में रखकर राज्य चयन समिति को प्रेशित किया जाय। 7) जनपदीय समिति द्वारा पुरस्कारों की संस्तुतियां करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्तुत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है। यदि पूर्व में कोई वाद प्रचलित रहा हो तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक से न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं उत्तम ख्याति इत्यादि का भलीभांति परीक्षण अवश्य कर लिया जाय। विवादित अथवा संदिग्ध चरित्र के अध्यापक का चयन किसी भी दशा में नहीं किया जाय। प्रतिकूल सूचना पाये जाने पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे। 8) जनपदीय चयन समिति द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए संस्तुत प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/अध्यापक के सम्बन्ध में चरित्र सत्यापन, सामान्य ख्याति तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) से जाँच कराकर जाँच आख्या सहित आवेदन मण्डलीय चयन समिति को प्रेशित किया जायेगा, जिसे मण्डलीय चयन समिति द्वारा राज्य चयन समिति को अग्रसारित किया	प्रमाणित किये बिना कोई प्रमाण–पत्र/अभिलेख मान्य नहीं होगा। 5) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मानक के सम्बन्ध में प्रस्तुत संगत अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन किया जायेगा। 6) राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में जनपद, मण्डल, निदेशालय एवं राज्य स्तर पर साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार के समय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा उत्कृष्ट कार्यो के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। 7) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 50: निर्धारित हैं। वर्णित व्यवस्थानुसार तथा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मानक के सम्बन्ध में संगत मूल अभिलेखों से सत्यापन के उपरान्त जनपद स्तरीय समिति प्रत्येक विषय/वर्ग से श्रेष्ठतम 01 आवेदन संस्तुति सहित मण्डलीय चयन समिति को ऑनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। औचित्य :– प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 50: निर्धारित किये जाने से पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का चयन किया जा सकेगा। 8) जनपदीय चयन समिति से संस्तुति आवेदनों में से मण्डलीय चयन समिति द्वारा जनपदीय चयन समिति के मूल्यांकन का परीक्षण कर प्रत्येक विषय/वर्ग के लिए गुणांक एवं साक्षात्कार मे प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट कम मे सर्वश्रेष्ठ 01–01 आवदेन निदेशालय स्तरीय चयन समिति को संस्तुति सहित ऑनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। 9) मण्डलीय चयन समिति से संस्तुति आवेदनों में से निदेशालय स्तरीय चयन समिति द्वारा मण्डलीय चयन समिति के मूल्यांकन का परीक्षण कर प्रत्येक विषय/वर्ग के लिए गुणांक एवं साक्षात्कार मे प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट कम मे सर्वश्रेष्ठ 03 आवदेन राज्य स्तरीय चयन समिति को संस्तुति सहित ऑनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। 10) प्रत्येक स्तर की चयन समिति द्वारा नये सिरे से परीक्षण एवं अभिलेखो के सत्यपन के उपरान्त चयन की कार्यवाही की जायेगी। 11) राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित किसी श्रेणी के अन्तर्गत एक भी आवेदन न होने की दशा में निम्नवत कार्यवाही की जायेगीः– (1) प्रधानाचार्य की श्रेणी में एक भी आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उक्त श्रेणी पर प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक की श्रेणी में एक भी आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उक्त श्रेणी पर प्रधानाचार्य का चयन किया जायेगा। (2) अध्यापको की शेष श्रेणी में से किसी भी श्रेणी में एक भी

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3
	जायेगा। 9) जनपदीय समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी 03 अभ्यर्थियों की संस्तुतियों में से मण्डलीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक मण्डल से 02 अभ्यर्थियों के नाम संस्तुत करते हुए समस्त अभिलेखों का पुनर्सत्यापन कराकर राज्य चयन समिति को अग्रसारित किया जायेगा। 10) सम्पूर्ण सेवावधि की गोपनीय आख्याओं की प्रविष्टियों को मूलरूप में देखने के उपरान्त आवेदन पत्र अग्रसारित किया जाय। 11) प्रधानाचार्य के संबंध में इस बात की जांच कर प्रमाण दिया जाय कि विद्यालय अभिभावक–शिक्षक संघ द्वारा प्राप्त धन का नियमानुसार विनियोग किया जा रहा है अथवा नहीं? मदवार निर्धारित शुल्क लिया जा रहा है अथवा अधिक? यदि शुल्क में अनियमितता पायी गई हो अथवा जांच प्रचलित है, तो उनके नाम पर विचार न किया जाय। 12) प्रत्येक मूल्यांकन मानक के सम्बन्ध में संगत अभिलेख/प्रमाण–पत्र आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा आवेदन के साथ अपलोड किया जाये। 13)राजकीय विद्यालयों के आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जायेगे तथा शिक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे। इसी प्रकार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के आवदेक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। 14)आवेदन के साथ संलग्न समस्त अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित करने के उपरान्त ही जनपदीय चयन समिति के समक्ष रखा जाये। 15)जनपदीय, मण्डलीय एवं राज्य चयन समिति द्वारा पुरस्कारों के चयन में पूर्णतया गोपनीयता बरती जायेगी। 16)राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के सम्बन्ध में जनपदीय/मण्डलीय चयन समिति द्वारा संस्तुत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक को राज्य चयन समिति के समक्ष अपने उत्कृष्ट कार्यों के सम्बन्ध में 05 मिनट का साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण (Digital Presentation) किया जायेगा। 17)राज्य चयन समिति द्वारा साक्षात्कार/प्रस्तुतिकरण देखने के उपरान्त मूल्याकंन कर योग्य प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/शिक्षक का पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।	**आवेदन प्राप्त न होने की दशा में उक्त श्रेणी पर ऐसी श्रेणी के अध्यापक का चयन किया जायेगा, जिस श्रेणी के लिये सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हों।** 12) नियमित सेवावधि का विवरण, प्रथम नियुक्ति तिथि सहित कुल अध्यापन अवधि का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया जायेगा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। 13) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज के संचालित परीक्षाओं में यदि डिबार अथवा किसी प्रकरण में दण्डित किया गया है तो राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु अनर्ह माना जायेगा। इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज से आख्या/प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही आवेदन–पत्रों को संस्तुत किया 14) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक की दशा में इस बात की जांच कर प्रमाण दिया जाय कि विद्यालय अभिभावक–शिक्षक संघ द्वारा प्राप्त धन का नियमानुसार विनियोग किया जा रहा है तथा शासन/विभाग द्वारा मदवार निर्धारित शुल्क ही लिया जा रहा है। यदि प्रधानाचार्य द्वारा शासन/विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है अथवा विद्यालय में धनराशि के दुरूपयोग/अनियमितता सम्बन्धी शिकायत की जांच हुई और जांचोपरान्त शिकायत पुष्टित है तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु अनर्ह माना जायेगा। 15) जनपदीय समिति द्वारा पुरस्कारों की संस्तुतियां करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संस्तुत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है। यदि पूर्व में कोई वाद प्रचलित रहा हो तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक से न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय। यह भी देख लिया जाय कि विभाग द्वारा किसी प्रकरण में दण्डित न किया गया हो तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/अध्यापक के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं उत्तम ख्याति इत्यादि का भलीभांति परीक्षण अवश्य कर लिया जाय। विभाग अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये अथवा सामान्य ख्याति अच्छी न पाये जाने वाले प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक की संस्तुति किसी भी दशा में न की जाय। प्रतिकूल सूचना पाये जाने पर सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में संस्तुत आवेदन–पत्रों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक एक ऑनलाइन प्रमाण–पत्र प्रेषित करेंगे। 16) जनपदीय समिति द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए संस्तुत प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/अध्यापक के सम्बन्ध में चरित्र सत्यापन, सामान्य ख्याति तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) से जाँच कराकर जाँच आख्या सहित आवेदन राज्य चयन समिति को

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3
		ऑनलाइन अग्रसारित किया जायेगा। 17) सामान्य ख्याति अच्छी होने, कोई दण्ड न दिये जाने तथा मा0 न्यायालय में कोई वाद लम्बित न होने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रमाण–पत्र तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल0आई0यू0) की आख्या के बिना कोई आवेदन जनपदीय चयन समिति द्वारा संस्तुत कर प्रेषित नहीं किया जायेगा। 18) जनपदीय/मण्डलीय/निदेशालयस्तरीय चयन समिति द्वारा की गयी कार्यवाही संस्तुति सहित राज्य चयन समिति को ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी। 19) पुरस्कारों के चयन में पूर्णतया गोपनीयता बरती जायेगी। 20) राज्य चयन समिति द्वारा प्रस्तुतीकरण देखने के उपरान्त योग्य प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/अध्यापक का मूल्यांकन कर पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।
8	8) राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक का मूल्यांकन भौतिक सत्यापनोंपरान्त निम्नांकित मूल्यांकन सारिणी के आधार पर किया जायेगा :– **प्रधानाचार्य के लिए मूल्यांकन मानक** **शिक्षण एवं कक्षा प्रबंधक** (table below)	8. राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक का मूल्यांकन भौतिक सत्यापनोंपरान्त निम्नांकित मूल्यांकन मानकों के आधार पर किया जायेगा :– —

क्र	शिक्षण एवं कक्षा प्रबंधक		कुल अंक–25
1	आवेदित शैक्षिक वर्ष में विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु कार्यदिवस:– 220 या अधिक कार्यदिवस 201 से 219 कार्यदिवस	उपस्थिति पंजिका	2
2	1) विगत 3 वर्ष की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु छात्र प्रोफाइल तैयार करना– 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की छात्र प्रोफाइल	8
	2)विगत 02 वर्ष का मासिक पाठ्यकम विभाजन के आधार पर छात्र प्रोफाइल अपडेट करना– 2 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	अपडेटेड छात्र प्रोफाइल (त्रैमासिक)	
	3) कक्षावार/विषयवार बच्चों का उनकी अधिगम स्तर के अनुसार वर्गीकरण करना–1 अंक	शिक्षक डायरी	
	4)उपचारात्मक शिक्षण ;Remedial Teaching) व्यवस्था–1 अंक	पाठ योजना	
	5)कक्षा में टी0एल0एम0	फोटो/ वीडियो	

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

	(Teaching Learning Material) एवं प्रयोगशाला से सम्बन्धित सामग्रियों का उपयोग–1 अंक		
3.	1)विगत 3 वर्ष की शिक्षक डायरी–3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की शिक्षक डायरी	
	2)विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के प्रत्येक इकाई की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग–9 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	12
	3)विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के दो तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग–6 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
	4)विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के एक तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग–3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
4	"स्वयं" पोर्टल अथवा किसी अन्य अध्यापक प्रशिक्षण मंच से प्रशिक्षण प्राप्त करना।	प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	3

विद्यालय प्रबन्धन

क्र	विद्यालय प्रबन्धन		कुल अंक–36
1	विद्यालय परिसर की साफ–सफाई एवं सौन्दर्यीकरण	फोटोग्राफ/वीडियो	2
2	सुविधाओं की उपलब्धता एवं कियाशीलता (पेयजल तथा बालक/बालिका के लिए अलग–अलग शौचालय)	फोटोग्राफ/वीडियो	2
3	विद्यार्थी उपस्थिति– अधिकतम 4 अंक 95 प्रतिशतसे अधिक 91 प्रतिशतसे 95 प्रतिशत तक 86 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक	छात्र उपस्थिति पंजिका	4
4	विद्यालय अभिलेखों का रख–रखाव।	सम्प्रेक्षक की नवीनतम ऑडिट	2

प्रधानाचार्य के लिए मूल्यांकन मानक
विद्यालय प्रबंन्धन

क्र0	मानक बिन्दु	मूल्यांकन हेतु अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
1.	विद्यालय में छात्र नामांकन	विगत 05 वर्षो में विद्यालय का औसत छात्र नामांकन (कक्षा–9 से 12 तक)– 1. 250–700 छात्र नामांकन होने पर–01 अंक 2. 251–750 छात्र नामांकन होने पर–02 अंक 3. 750 से अधिक छात्र नामांकन होने पर–03 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर / छात्रनिधियो के अभिलेख /बोर्ड में पंजीकरण	03
2.	विद्यालय में छात्र नामांकन में वृद्वि	विगत 05 वर्षो में विद्यालय के छात्र नामांकन (कक्षा–9 से 12 तक) में औसत वृद्वि– 1. 05–35 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्वि होने पर–01 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर / छात्रनिधियो के	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

2

		रिपोर्ट एवं अनुपालन आख्या	
5	अनुदानों का नियमानुसार उपभोग तथा उपभोग प्रमाण–पत्र प्रेषण।	सम्प्रेक्षक की नवीनतम आडिट रिपोर्ट एवं अनुपालन आख्या	2
6	विगत 3 वर्ष में शारीरिक क्षमता संवर्द्धन की गतिविधियों का आयोजन– अधिकतम– 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	विद्यालय स्तर पर आयोजित क्रीड़ा प्रतियोगिता का रिकार्ड	3
7	राष्ट्रीय, सामाजिक पर्वो एवं महापुरूषों की जयन्तियों का शैक्षिक पंचांग के अनुसार आयोजन– अधिकतम– 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड	3
8	शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय का नियमित उपयोग।	रिकार्ड रजिस्टर	1
9	विगत 3 वर्ष में स्कूल प्रबन्ध समिति, अभिभावक–शिक्षक समिति, पुरा–छात्र सभा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्कूल अवस्थापना सुविधाओं तथा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास– अधिकतम–3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	धनराशि अन्तरण सम्बन्धी पास–बुक की छाया प्रति/धनराशि स्वीकृति उपलब्ध कराने के आदेश की छाया प्रति	3
10	सफल अभ्यासों ;Best Practices) को लागू करना।	वीडियो/फोटोग्राफ/राइट अप	2
11	विगत पांच वर्षो में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध–पत्र एवं पुस्तक प्रकाशनः – अधिकतम–5 अंक (प्रत्येक शोध तथा पुस्तक के लिए 1 अंक)	प्रकाशित शोध–पत्र तथा पुस्तकें अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International standard book number)	5

3

		2. 36–75 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्धि होने पर–02 अंक 3. 75 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकन वृद्धि होने पर–03 अंक	अभिलेख /बोर्ड में पंजीकरण	
3.	विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में छात्रों की औसत उपस्थिति– 1. 85–89 प्रतिशत औसत उपस्थित होने पर –01 अंक 2. 90–95 प्रतिशत औसत उपस्थित होने पर –02 अंक 3. 95 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थित होने पर –03 अंक	छात्र उपस्थिति रजिस्टर	03
4.	विद्यालय में प्रधानाचार्य की उपस्थिति	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में प्रधानाचार्य की कार्य दिवस में औसत उपस्थिति– 1. 230–239 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर –01 अंक 2. 239 से अधिक विद्यालय में औसत उपस्थिति पर –02 अंक	उपस्थिति रजिस्टर	02
5.	विद्यालय में पुराछात्र संघ/समुदाय के सहयोग से आधार भूत संरचना का विकास	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में पुराछात्र संघ/समुदाय के सहयोग से आधार भूत संरचना का विकास (संसाधनों की वृद्वि) करने पर– 1. 02–05 लाख रू0 तक के कार्य कराने पर –01 अंक 2. 06–15 लाख रू0 तक के कार्य कराने पर –02 अंक 3. 15 लाख रू0 से अधिक के कार्य कराने पर –03 अंक	धनराशि प्राप्ति तथा व्यय के अभिलेख एवं विद्यालय में कराये गये कार्यो केफोटोग्राफ्स	03
6.	**विकास शुल्क /विद्यालय वार्षिक अनुदान का उपभोग**	**विगत 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष विकास शुल्क/विद्यालय वार्षिक अनुदान का संबंधित कार्यो पर उपभोग करने पर – 1. 75–90 प्रतिशत तक उपभोग करने पर –01 अंक 2. 90 प्रतिशत से अधिक उपभोग करने पर –02 अंक**	**संबंधित शुल्क /अनुदान रजिस्टर/ बैंक खाते के अभिलेख**	**02**
7.	छात्र निधियों का उपभोग	विगत 03 वर्षो में विद्यालय की छात्र निधियों–पंखा शुल्क, निर्धन शुल्क, श्रव्य–दृश्य शुल्क, कला शुल्क तथा जलपान शुल्क का संबंधित	संबंधित शुल्क /अनुदान रजिस्टर/ बैंक खाते	02

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

2

		भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-Indian Broadcasting Network) सहित	
12	पाठ्य–पुस्तक, शिक्षक हस्त पुस्तिका, ई–कन्टेन्ट इत्यादि के विकास में योगदान– अधिकतम अंक–4 (प्रति कन्टेन्ट 1 अंक)	किसी शिक्षा बोर्ड की पाठ्य–पुस्तक, शिक्षक हस्तपुस्तिक, ई–कन्टेन्ट	4
13	विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण,प्रोजेक्ट कार्य का आयोजन –अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	प्रोजेक्ट रिपोर्ट	3

3

		कार्यों पर उपयोग करने पर– 1. 75–90 प्रतिशत तक उपभोग करने पर –01 अंक 2. 90 प्रतिशत से अधिक उपभोग करने पर –02 अंक	के अभिलेख	
8.	पुस्तकालय/ वाचनालय का प्रयोग	प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में – 1. पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की नियमित उपलब्धता हेतु वाचनालय शुल्क का उपयोग करना 2. विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय /वाचनालय का प्रयोग कराना 3. शिक्षको द्वारा पुस्तकालय/ वाचनालय का प्रयोग कराना	वाचनालय के अभिलेख– 1. प्रतिवर्ष न्यूनतम 30 पुस्तके तथा नियमित रू0 से न्यूनतम 4–4 समाचार पत्र व पत्रिकायें खरीदने संबंधी अभिलेख 2. पुस्तकालय सदस्यता कार्ड 3. पुस्तक जारी करने का रजिस्टर	01
9.	शिक्षक डायरी बनवाना	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक की शिक्षक डायरी बनवाना (प्रत्येक वर्ष हेतु–01 अंक)	शिक्षक डायरी	03
10	शिक्षक में टी0एल0एम0 (Teaching Learning Material) का प्रयोग	विगत 03 वर्षो में प्रत्येक शिक्षक से प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार कराकर उसके अनुरूप टी0एल0एम0 का प्रयोग कराना (प्रत्येक वर्ष हेतु –01 अंक)	पाठ्य योजना एंव टी0एल0 एम0	03
11	प्रार्थना सभा का आयोजन	प्रत्येक शैक्षिक दिवस पर विद्यालय समय से 20 मिनट पूर्व प्रार्थना सभा का आयोजन तथा– 1. प्रार्थना सभा हेतु उपयुक्त उपकरणों (लाउडस्पीकर, हारमोनियम, ढोल आदि) का प्रयोग 2. प्रार्थना सभा में नियमित	प्रार्थना सभा के सुसंगत अभिलेख एवं उपकरण	01

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था				
1	2	3				
				रूप से प्रार्थना सुविचार, मुख्य समाचार, प्रेरक प्रसंग, प्रश्नोत्तरी आदि पर चर्चा/गतिविधियां कराना 3. प्रार्थना सभा स्थल की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कराना		
		12	पेयजल की उपलब्धता	बालक/बालिकाओं के लिये पाइप लाइन वाटर सप्लाई द्वारा शुद्व पेयजल की उपलब्धता	फोटोग्राफ	01
		13	शौचालय की उपलब्धता	बालक/बालिकाओं तथा विशेष अवावश्यकताओं वाले छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता।	फोटोग्राफ	01
		14	**विद्युत की उपलब्धता**	**विद्यालय भवन में हवा तथा रोशनी हेतु विद्युत की उचित व्यवस्था।**	**विद्यालय भवन की फोटोग्राफ**	**01**
		15	**रैम्प की उपलब्धता**	**विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार रैम्प की उपलब्धता**	**विद्यालय भवन की फोटोग्राफ**	**01**
		16	विद्यार्थियों का स्वास्थय परीक्षण कराना	विद्यालय के छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना	स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी अभिलेख	01
		17	आवेदक द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये विशेष प्रयास	विगत 05 वर्षो में राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन-- (प्रत्येक शोध/पुस्तक के लिये 01 अंक) अथवा आन-लाइन पठन-पाठन हेतु बीडियों का निर्माण, जिनका राज्य स्तर से चयन दूरदर्शन/स्वंय प्रभा चैनल पर प्रसारण हेतु हुआ। (03 वीडियों का विकास कराने पर --01 अंक)	प्रकाशित शोधपत्र तथा पुस्तक अर्न्तराष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International Standard book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-Indian Broad	02

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

(स्तम्भ 3 — पिछली तालिका का शेष भाग)

			Casting Network) सहित वीडियों / चयन संबंधी अभिलेख	
			योग–	33

(स्तम्भ 2)

विद्यालय प्रदर्शन कुल अंक –34

1)आवेदित वर्ष में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल तथा इण्टर की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का विगत 03 वर्ष का परीक्षाफल– अधिकतम 5 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1/3 अंक) 95 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत	बोर्ड परीक्षाफल	5
1) (क) विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करना (अधिकतम 3 अंक) प्रथम स्थान–3 अंक द्वितीय स्थान–2 अंक तृतीय स्थान–1 अंक	बोर्ड परीक्षाफल की मेरिट सूची	3
2) (ख) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का विगत 03 वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षाफल (अधिकतम 5 अंक) :– I. 25 प्रतिषत से अधिक विद्यार्थी डिक्टेंषन (विषेश योग्यता)–5 अंक II. 50 प्रतिशत से अधिक(प्रथम श्रेणी में) –4अंक III. 40 प्रतिशत से अधिक (प्रथम श्रेणी में) –3 अंक IV. 30 प्रतिशत से अधिक (प्रथम श्रेणी में) – 2	बोर्ड परीक्षाफल की मेरिट सूची	5

(स्तम्भ 3)

विद्यालय प्रदर्शन

1	विद्यालय का परीक्षाफल	विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा में विद्यालय का परीक्षाफल– 95 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)। 90 प्रतिशत से अधिक व 95 प्रतिशत तक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)।	बोर्ड परीक्षाफल	06
		विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा में विद्यालय का परीक्षाफल– 95 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)। 90 प्रतिशत से अधिक व 95 प्रतिशत तक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)।	बोर्ड परीक्षाफल	06
2.	राज्य स्तर की मैरिट में स्थान	विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	03
		विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज की इण्टरमीडिएट परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	03
3.	जनपद स्तर की मैरिट में स्थान	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल परीक्षा में जनपद स्तर की मैरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	3
		विगत 03 वर्षो में विद्यालय में किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज की इण्टरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर की मैरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	3

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था		
1	2		
	अंक V. 20 प्रतिशत से अधिक (प्रथम श्रेणी में) –1 अंक		
	1) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थी का चयन– अधिकतम 3 अंक	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	3
	2)माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना–अधिकतम अंक–6 राष्ट्रीय स्तर–6 अंक राज्य स्तर–4 अंक मण्डल स्तर–3 अंक जनपद स्तर–1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	6
	3) माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी./एन.एस.एस. प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा प्रतिभाग किया जाना–अधिकतम अंक–3 राष्ट्रीय स्तर–3 अंक राज्य स्तर–2 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	3
	4)माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया जाना–अधिकतम 6 अंक राष्ट्रीय स्तर–6 अंक राज्य स्तर– 4 अंक मण्डल स्तर–3 अंक जनपद स्तर–1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	6
	5)विभागीय एवं अन्तर्विभागीय प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रम	3

नवीन व्यवस्था				
3				
4.	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन	विगत 03 वर्षों में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थियों का चयन (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	03
5	स्मारिका का प्रकाशन	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में पत्रिका शुल्क का उपयोग तथा पत्रिका का आनलाइन/ऑफलाइन प्रकाशन।द्यालय के विद्यार्थियों का चयन (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	प्रकाशित पत्रिका एवं अन्य साक्ष्य	03
6	पुराछात्र सम्मेल का आयोजन	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर पुराछात्र सम्मेलन का आयोजन (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक	पुराछात्र सम्मेलन के अभिलेख	03
7.	वार्षिकोत्सव का आयोजन	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक)	वार्षिकोत्सव के अभिलेखा	03
8.	कला उत्सव का आयोजन	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजक के अभिलेख/प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में विद्यालय के विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना– 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	03
9	पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन –	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में कीडा शुल्क का उपयोग एवं विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेखा	03
		विगत 03 वर्षों में विभिन्न खेल गतिविधियों में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षों में विद्यालय में स्काउट गाइड/रेडकास/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 शुल्क का उपयोग एवं कार्यक्रमों का आयोजन कराना (प्रत्येक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था				नवीन व्यवस्था				
1	2				3				
		नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा राष्ट्रीय, एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया जाना। (अधिकतम अंक–3) राष्ट्रीय स्तर–3 अंक राज्य स्तर–2 अंक	ाण–पत्र				वर्ष के लिये 01 अंक)	ा	
							विगत 03 वर्षो में विद्यालय में स्काउट गाइड/रेडकास/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के कार्यक्रमों में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	03
							विगत 03 वर्षो में महीयषी महादेवी वर्मा अथवा डा0 सम्पूर्णानन्द वाद–विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राज्य स्तर– 4 अंक 2. मण्डल स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	04
							विगत 03 वर्षो में विद्यालय मे विज्ञान शुल्क का सदुपयेग तथा विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता का आयोजन (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
							विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्याथी/टीम द्वारा इस्पायर अवार्ड/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी/राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	03
							विगत 03 वर्षो में विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन केअभिलेख ा	03
							योग		67

साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण (column 2)

1	विषय ज्ञान तथा विद्यालय संचालन की दक्षता	–	2
2	अभिव्यक्ति की योग्यता	–	2
3	व्यक्तित्व परीक्षण	–	1
		योग	5

साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण (column 3)

1	**विषय/सामान्य ज्ञान**	–	8
2	**अभिव्यक्ति की योग्यता**	–	8
3	**व्यक्तित्व परीक्षण**	–	4
	योग	–	20
	महायोग		120

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3
	———	प्रधानाध्यापक के लिए मूल्यांकन मानक विद्यालय प्रबंन्धन

प्रधानाध्यापक के लिए मूल्यांकन मानक
विद्यालय प्रबंन्धन

क्र0	मानक बिन्दु	मूल्यांकन हेतु अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
1.	विद्यालय में छात्र नामांकन	विगत 05 वर्षो में विद्यालय का औसत छात्र नामांकन– (कक्षा–9 से 12 तक) 1. 150–300 छात्र नामांकन होने पर – 01 अंक 2. 301–500 छात्र नामांकन होने पर –02 अंक 3. 500 से अधिक छात्र नामांकन होने पर–03 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर/छात्र निधियों के अभिलेख/बोर्ड में पंजीकरण	03
2.	विद्यालय में छात्र नामांकन में वृद्वि	विगत 05 वर्षो में विद्यालय के छात्र नामांकन (कक्षा–9 से 12 तक में औसत वृद्वि– 1. 05–35 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्वि होने पर–01 अंक 2. 36–75 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्वि होने पर–02 अंक 3. 75 प्रतिशत से अधिक, छात्र नामांकन वृद्वि होने पर–03 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर/छात्र निधियों के अभिलेख/बोर्ड में पंजीकरण	03
3.	विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में छात्रों की औसत उपस्थिति– 1. 85–89 प्रतिशत औसत उपस्थित होने पर –01 अंक 2. 90–95 प्रतिशत औसत उपस्थित होने पर –02 अंक 3. 95 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थित होने पर –03 अंक	छात्र छात्र उपस्थिति रजिस्टर	03
4.	विद्यालय में प्रधानाध्यापक की उपस्थिति	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में प्रधानाध्यापक की कार्य दिवस में औसत उपस्थिति– 1. 230–239 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर –01 अंक 2. 239 से अधिक विद्यालय में औसत उपस्थिति पर –02 अंक	उपस्थिति रजिस्टर	02
5.	विद्यालय में पुराछात्र संघ/समुदाय के सहयोग से आधार भूत संरचना का विकास	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में पुराछात्र संघ/समुदाय के सहयोग से आधार भूत संरचना का विकास (संसाधनों की वृद्वि) करने पर 1. 02–05 लाख रू0 तक के कार्य कराने पर –01 अंक 2. 06–15 लाख रू0 तक के कार्य कराने पर –02 अंक 3. 15 लाख रू0 से अधिक के	धनराशि प्राप्ति तथा व्यय के अभिलेख एवं विद्यालय में कराये गये कार्यो	03

Ae

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था				
1	2	3				
				कार्य कराने पर –03 अंक	केफोटोग्राफ्स	
		6.	विकास शुल्क / विद्यालय वार्षिक अनुदान का उपभोग	विगत 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष विकास शुल्क / विद्यालय वार्षिक अनुदान का संबंधित कार्यो पर उपभोग करने पर – 1. 75–90 प्रतिशत तक उपभोग करने पर –01 अंक 2. 90 प्रतिशत से अधिक उपभोग करने पर –02 अंक	संबंधित शुल्क / अनुदान रजिस्टर / बैक खाते के अभिलेख	02
		7.	छात्र निधियों का उपभोग	विगत 03 वर्षो में विद्यालय की छात्र निधियों–पंखा शुल्क, निर्धन शुल्क, श्रव्य–दृश्य शुल्क, कला शुल्क तथा जलपान शुल्क का संबंधित कार्यो पर उपयोग करने पर– 1. 75–90 प्रतिशत तक उपभोग करने पर –01 अंक 2. 90 प्रतिशत से अधिक उपभोग करने पर –02 अंक	संबंधित निधियों के शुल्क रजिस्टर / बैक खाते के अभिलेख	02
		8	पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग	प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में – 1. पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की नियमित उपलब्धता हेतु वाचनालय शुल्क का उपयोग करना 2. विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग कराना 3. शिक्षको द्वारा पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग कराना	वाचनालय के अभिलेख 1. प्रतिवर्ष न्यूनतम 30 पुस्तके तथा नियमित रूप से न्यूनतम 4–4 समाचार पत्र व पत्रिकायें खरीदने संबंधी अभिलेख 2. पुस्तकालय सदस्यता कार्ड 3. पुस्तक जारी करने का रजिस्टर	01
		9	शिक्षक डायरी बनवाना	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक की शिक्षक डायरी बनवाना	शिक्षक डायरी	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

		(प्रत्येक वर्ष हेतु–01 अंक)		
10	शिक्षक में टी0एल0एम0 (Teaching Learning Material) का प्रयोग	विगत 03 वर्षो में प्रत्येक शिक्षक से प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार कराकर उसके अनुरूप टी0एल0एम0 का प्रयोग कराना (प्रत्येक वर्ष हेतु –01 अंक)	पाठ्य योजना एवं टी0एल0 एम0	03
11	प्रार्थना सभा का आयोजन	प्रत्येक शैक्षिक दिवस पर विद्यालय समय से 20 मिनट पूर्व प्रार्थना सभा का आयोजन– 1. प्रार्थना सभा हेतु उपयुक्त उपकरणों (लाउडस्पीकर, हारमोनियम, ढोल आदि) का प्रयोग 2. प्रार्थना सभा में नियमित रूप से प्रार्थना सुविचार, मुख्य समाचार, प्रेरक प्रसंग, प्रश्नोत्तरी आदि पर चर्चा/गतिविधियां कराना 3. प्रार्थना सभा स्थल की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कराना	प्रार्थना सभा के सुसंगत अभिलेख एवं उपकरण	01
12	पेयजल की उपलब्धता	बालक/बालिकाओं के लिये पाइप लाइन वाटर सप्लाई द्वारा शुद्व पेयजल की उपलब्धता	फोटोग्राफ	01
13	शौचालय की उपलब्धता	बालक/बालिकाओं तथा विशेष आवश्कताओं वाले छात्र–छात्राओं के लिये अलग–अलग क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता।	फोटोग्राफ	01
14	**विद्युत की उपलब्धता**	**विद्यालय भवन में हवा तथा रोशनी हेतु विद्युत की उचित व्यवस्था।**	**विद्यालय भवन की फोटोग्राफ**	01
15	**रैंप की उपलब्धता**	**विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र–छात्राओं की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार रैंप की उपलब्धता**	**विद्यालय भवन की फोटोग्राफ**	01
16	विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना	विद्यालय में छात्र–छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना	स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी अभिलेख	01
17	आवेदक द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये विशेष प्रयास	विगत 05 वर्षो में राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन–(प्रत्येक शोध/पुस्तक के लिये 01 अंक) अथवा आन–लाइन पठन–पाठन हेतु वीडियों का निर्माण, जिनका	प्रकाशित शोधपत्र तथा पुस्तक अर्न्तराष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International Standard book	02

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

		राज्य स्तर से चयन दूरदर्शन/स्वंय प्रभा चैनज पर प्रसारण हेतु हुआ। (03 वीडियों का विकास कराने पर –01 अंक)	number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN- Indian Broad Casting Network)सहित वीडियों/चयन संबंधी रिकार्ड	
			योग–	33

विद्यालय प्रदर्शन

1	विद्यालय का परीक्षाफल	विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा में विद्यालय का परीक्षाफल – 95 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक)। 90 प्रतिशत से अधिक व 95 प्रतिशत तक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)।	बोर्ड परीक्षाफल	12
2	राज्य स्तर की मैरिट में स्थान	विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	6
3	जनपद स्तर की मैरिट में स्थान	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल परीक्षा में जनपद स्तर की मैरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	6
4	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन	विगत 03 वर्षो में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थियों का चयन। (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	3
5	स्मारिका का प्रकाशन	विगत 03 वर्षो में विद्यालय में पत्रिका शुल्क का उपयोग तथा पत्रिका का आन–लाइन/ऑफ लाइन प्रकाशन (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक)	प्रकाशित पत्रिका एवं अन्य साक्ष्य	3
6	पुराछात्र सम्मेल का आयोजन	विगत 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर पुराछात्र सम्मेलन का आयोजन (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक)	पुराछात्र सम्मेलन केअभिलेख ा	3

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था				
1	2	3				
		7	वार्षिकोत्सव का आयोजन	विगत 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर वाषिकोत्सव का आयोजन (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक)	वाषिकोत्सव के अभिलेख	3
		8	कला उत्सव का आयोजन	**विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक)**	**कार्यक्रम आयोजक के अभिलेख**	3
				विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में जनपद व राज्य स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना– 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर –2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	**प्रमाण पत्र**	3
		9	पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन–	विगत 03 वर्षो में विद्यालय में क्रीडा शुल्क का उपयोग एवं विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	3
				विगत 03 वर्षो में विभिन्न खेल गतिविधियों में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	3
				विगत 03 वर्षो में विद्यालय में स्काउट गाइड/रेडकास/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 शुल्क का उपयोग एवं कार्यक्रमों का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक) विगत 03	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	3
				वर्षो में विद्यालय में स्काउट गाइड/रेडकास/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के कार्यक्रमों में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	3
				विगत 03 वर्षो में महीयषी महादेवी वर्मा अथवा डा0 सम्पूर्णानन्द वाद–विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राज्य स्तर– 4 अंक	प्रमाण पत्र	3

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

अध्यापक के लिए मूल्यांकन मानक

क	मानक	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
	शिक्षण एवं कक्षा प्रबन्धन		**कुल अंक–25**
	आवेदित शैक्षिक वर्ष में विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु कार्यदिवसः– 220या अधिक कार्यदिवस – 2 201 से 219 कार्यदिवस – 1	उपस्थिति पंजिका	2
1)	विगत 3 वर्ष की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु छात्र प्रोफाइल तैयार करना– 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्षो की छात्र प्रोफाइल	8
2)	विगत 02 वर्ष का मासिक पाठ्यक्रम विभाजन के आधार पर छात्र प्रोफाइल अपडेट करना– 2 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	अपडेटेड छात्र प्रोफाइल (त्रैमासिक)	
3)	कक्षावार/विषयवार बच्चों का उनकी अधिगम स्तर के अनुसार वर्गीकरण	शिक्षक डायरी	

		2. मण्डल स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक		
		विगत 03 वर्षो में विद्यालय मे विज्ञान शुल्क का सदुपयेग तथा विज्ञान प्रदर्शनी/प्रतियोगिता का आयोजन (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन केअभिलेख	3
		विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्याथी/टीम द्वारा इस्पायर अवार्ड/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी/राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर – 2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	प्रमाण पत्र	3
		विगत 03 वर्षो में विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजके अभिलेख	3
	योग			67

साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण

1	विषय/सामान्य ज्ञान	–	8
2	अभिव्यक्ति की योग्यता	–	8
3	व्यक्तित्व परीक्षण	–	4
	योग	–	20
	महायोग		12

अध्यापक के लिए मूल्यांकन मानक

कक्षा प्रबंधन

क्र0	मानक बिन्दु	मूल्यांकन हेतु अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
1	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षो में छात्र नामांकन में औसत वृद्वि।	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षो में औसत छात्र नामांकन वृद्वि– 1. 05–35 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्वि होने पर –01 अंक 2. 36–75 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्वि होने पर –02 अंक 3. 75 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकन वृद्वि होने पर –03	छात्र नामांकन रजिस्टर	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

2

करना–1 अंक		
4) उपचारात्मक शिक्षण ;त्मउमकपंस जमंबीपदहद्ध व्यवस्था–1 अंक	पाठ योजना	
5) कक्षा में टी0एल0एम0 (Teaching Learning Material) एवं प्रयोगशाला से सम्बन्धित सामग्रियों का उपयोग–1 अंक	फोटो/वीडियो	
6) विगत 3 वर्ष की शिक्षक डायरी–3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की शिक्षक डायरी	12
7) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के प्रत्येक इकाई की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग–9 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
8) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के दो तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग–6 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
9) विगत 3 वर्ष की सम्बन्धित विषय के एक तिहाई इकाईयों की प्रकरणवार पाठ्य योजना विकास व कक्षा शिक्षण में प्रयोग–3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	03 वर्ष की पाठ योजना	
"स्वयं" पोर्टल अथवा किसी अन्य अध्यापक प्रशिक्षण मंच से प्रशिक्षण प्राप्त करना।	प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	3

3

		अंक		
2	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षो में छात्रों की औसत उपस्थिति	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षो की औसत उपस्थिति– 1. 85–89 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर–01 अंक 2. 90–95 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर–02 अंक 3. 95 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति पर –03 अंक	छात्र उपस्थिति रजिस्टर	03
3	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में शिक्षक की औसत उपस्थिति	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में शिक्षक की कार्यदिवस में औसत उपस्थिति– 1. 220–229 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर –01 अंक 2. 230–239 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर –02 अंक 3. 239 से अधिक विद्यालय में औसत उपस्थिति पर –03 अंक	उपस्थिति रजिस्टर	03
4	विगत 05 वर्षो में शिक्षक अभिभावक संघ/पुराछात्र संघ / समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना विकास में सहयोग	विगत 05 वर्षो में विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ/पुराछात्र संघ /समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना का विकास (संसाधनों की वृद्धि) करने पर 1. 01–02 लाख रू0 तक के कार्य कराने पर –01 अंक 2. 02–06 लाख रू0 तक के कार्य कराने पर –02 अंक 3. 06 लाख रू0 से अधिक के कार्य कराने पर –03 अंक	धनराशि प्राप्ति तथा व्यय के अभिलेख, विद्यालय में कराये गये कार्यो के फोटोग्राफ एवं प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
5	छात्र प्रगति पत्र	विगत 03 वर्षो में अध्यापित विषय के	प्रगति पत्र	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

स्तम्भ 2

	शैक्षिक प्रबन्धन		कुल अंक–34
1	कक्षा–कक्ष की साफ–सफाई एवं स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सीखने–सिखाने की सामग्री का प्रदर्शन	पाठ योजना/फोटोग्राफ/वीडियो	2
2	शैक्षिक पंचांग एवं विद्यालय समय सारिणी के अनुसार पठन–पाठन – अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	पाठ योजना	3
3	अध्यापित विषय में विद्यार्थियों की उपस्थिति :– 95 प्रतिशतसे अधिक – 4 91 प्रतिशतसे 95 प्रतिशत तक – 3 86 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक – 2 80 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक – 1	छात्र उपस्थिति पंजिका	4
4	विगत 3 वर्ष में विद्यार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–उपस्थिति पंजिका, गृह परीक्षा आदि का रख–रखाव – अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	छात्र प्रोफाइल/उपस्थिति पंजिका व परीक्षा सम्बन्धी अभिलेख	3
5	शैक्षिक पंचांग के अनुसार राष्ट्रीय, सामाजिक पर्वों एवं महापुरूषों की जयन्तियों के आयोजन में योगदान – अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड	3
6	विद्यालय में बाल सभा/छात्र समितियों गठन एवं कार्यक्रम का आयोजन –	कार्यक्रम आयोजन	1

स्तम्भ 3

		सभी छात्रो का प्रगति पत्र बनाना (प्रत्येक वर्ष हेतु – 01 अंक)		
6.	शिक्षक डायरी	विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा शिक्षक डायरी बनाना (प्रत्येक वर्ष हेतु–01 अंक)	शिक्षक डायरी	03
7	उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था	विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा न्यून अधिगम के विद्यार्थियों का चिन्हांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना (प्रत्येक वर्ष हेतु–01 अंक)	शिक्षक डायरी/उपचारात्मक शिक्षण के लिये पाठ्य योजनाएं	03
8	आवेदक द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये विशेष प्रयास	निष्ठा पोर्टल तथा अन्य विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना।	प्रशिक्षण प्राप्त करन	03
		विगत 05 वर्षो में राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन (प्रत्येक शोध/पुस्तक के लिये–01 अंक) अथवा आन–लाइन पठन–पाठन हेतु वीडियों का निर्माण जिनका राज्य स्तर से चयन दूरदर्शन/स्वंय प्रभा चैनल पर प्रसारण हेतु हुआ। (03 वीडियों का विकास कराने पर–01 अंक)	प्रकाशित शोधपत्र तथा पुस्तक अर्न्तराष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International Standard book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-Indian Broad Casting Network) सहित वीडियों/चयन संबंधी रिकार्ड	04
	योग			28

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था				नवीन व्यवस्था
1	2				3
		अधिकतम 1 अंक	का रिकार्ड		
	7	स्कूल प्रबन्ध समिति, अभिभावक–शिक्षक समिति एवं पुरा–छात्र सभा का गठन एवं नियमित बैठक/सम्मेलन में सहभागिता तथा उनके माध्यम से स्कूल अवस्थापना सुविधाओं तथा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रयास – अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक सफल अभ्यास के लिए 1 अंक)	धनराशि अन्तरण सम्बन्धी पास–बुक की छाया प्रति/धनराशि स्वीकृति उपलब्ध कराने में आदेश की छाया प्रति/रिकार्ड रजिस्टर एवं कार्यवृत्त	3	
	8	सफल अभ्यासों ;ठमेज च्तंबजपबमेद्ध का प्रयोग– अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक सफल अभ्यास के लिए 1 अंक)	राइटअप /वीडियो /फोटोग्राफ	3	
	9	विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध–पत्र एवं पुस्तक प्रकाशनः – अधिकतम–5 अंक (प्रत्येक शोध तथा पुस्तक के लिए 1 अंक)	प्रकाशित शोध–पत्र तथा पुस्तकें अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International standard book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-Indian Broadcasting Network) सहित	5	
	10	पाठ्य–पुस्तक, शिक्षक हस्त पुस्तिका, ई–कन्टेन्ट इत्यादि के विकास में	किसी शिक्षा बोर्ड	4	

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

	योगदान– अधिकतम अंक–4 (प्रति कन्टेन्ट 1 अंक)	की पाठ्य–पुस्तक, शिक्षक हस्तपुस्तिका, ई–कन्टेन्ट	
11	विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण एवं प्रोजेक्ट कार्य में सहभागिता–अधिकतम 3 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	शैक्षिक भ्रमण एवं प्रोजेक्ट कार्य का रिकार्ड	3
	प्रदर्शन आधारित		**कुल अंक–36**
1	1)माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में अध्यापित विषय का विगत 03 वर्ष का परीक्षाफल–अधिकतम 7 अंक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1/3 अंक) 95 प्रतिशत से अधिक – 5 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत – 3 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत – 2	बोर्ड परीक्षाफल	7
	2) (क) अध्यापित विषय में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा में जनपद एवं राज्य स्तर की मेरिट में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करना–अधिकतम 3 अंक प्रथम स्थान–3 अंक द्वितीय स्थान–2 अंक, तृतीय स्थान–1 अंक	बोर्ड परीक्षाफल की मेरिट सूची	3
	(ख) माध्यमिक षिक्षा परिशद, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय का विगत 03 वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षाफल (अधिकतम 5 अंक) 1. 50 प्रतिशत से अधिक(प्रथम श्रेणी में) –4 अंक 2. 40 प्रतिशत से अधिक(प्रथम श्रेणी में)–3 अंक 3. 30 प्रतिषत से अधिक(प्रथम श्रेणी में)–2 अंक 4. 20 प्रतिषत से अधिक(प्रथम श्रेणी में)–1 अंक	बोर्ड परीक्षाफल	5

शिक्षक प्रदर्शन

क्र0	मानक बिन्दु	मूल्यांकन हेतु अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधितम अंक
1	विद्यालय की साफ सफाई/सौन्दर्यीकरण में योगदान	विगत 03 वर्षो में विद्यालय/कक्षा– कक्ष की सफाई, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य क्रिया कलापों में योगदान करना (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	फोटोग्राफ/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
2	सफल अभ्यास (Best practices)	विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा सफल अभ्यासों/नवाचारो का प्रयोग करना (प्रत्येक सफल अभ्यास/नवाचार के लिये–01 अंक)	अभिलेखीकरण/राइटप/फोटोग्राफ	03
3	शैक्षिक पंचाग के अनुसार पठन–पाठन	विगत 03 वर्षो में शैक्षिक पंचाग एवं विद्यालय समय सारणी के अनुसार पठन–पाठन करना (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	शिक्षक डायरी/पाठ्य योजनाएं	03
4	शिक्षण में टी0एल0एम0 का प्रयोग (Teaching Learning Material) क प्रयोग	विगत 03 वर्षो में अध्यापित प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार कराकर उसके अनुसार टी0एल0एम0 का प्रयोग करना (प्रत्येक वर्ष हेतु –01 अंक)	पाठ्य योजना एव टी0एल0एम0	03
5	परीक्षाफल	विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट	बोर्ड परीक्षाफल	15

Ae.

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

	2) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थी का चयन–अधिकतम 3 अंक	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	3
2	1) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी छात्र/समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना–अधिकतम 6 अंक :– राष्ट्रीय स्तर– 6 अंक, राज्य स्तर– 4 अंक, मण्डल स्तर– 3 अंक जनपद स्तर– 1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	6
	2) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद/स्काउट/एन.सी.सी/एन.एस.एस प्रतियोगिता में विद्यालय के किसी छात्र/समूह द्वारा प्रतिभाग किया जाना–अधिकतम 3 अंक :– राष्ट्रीय स्तर–3 अंक राज्य स्तर–2 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	3
	3) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर की प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना–अधिकतम अंक–6 राष्ट्रीय स्तर– 6 अंक, राज्य स्तर– 4 अंक, मण्डल स्तर– 3 अंक जनपद स्तर– 1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	6
	4) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	3

		परीक्षा में अध्यापित विषय का परीक्षाफल– 1. 100 प्रतिशत परीक्षाफल(प्रत्येक वर्ष के लिये 05 अंक) 2. 95–99.99 प्रतिशत परीक्षाफल (प्रत्येक वर्ष के लिये–03 अंक) 3. 90 से 94.99 प्रतिशत परीक्षाफल (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)		
6	**राज्य स्तर की मेरिट में स्थान**	**विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा पढाये गये किसी विद्यार्थि को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।**	**बोर्ड परीक्षाफल**	03
7	**जनपद स्तर की मेरिट में स्थान**	**विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा पढाये गये किसी विद्यार्थि को माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।**	**बोर्ड परीक्षाफल**	03
8	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन	विगत 03 वर्षो में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में शिक्षक द्वारा पढाये गये विद्यार्थियों का चयन (प्रत्येक वर्ष के लिये– 01 अंक)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	03
9.	पठन–पाठन एवं पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों के आयोजन में योगदान	विगत 03 वर्षो मे शिक्षक द्वारा पुराछात्र सम्मेलन/वाषिकोत्सव के आयोजन/ राष्ट्रीय त्योहारो एवं महापुरूषो की जयंती के आयोजन में योगदान (प्रत्यके वर्ष के लिये –01 अक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

	में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा प्रतिभाग किया जाना–अधिकतम अंक–3 राष्ट्रीय स्तर–3 अंक राज्य स्तर–2 अंक		
3	1) आवेदक शिक्षक के प्रभारी/योगदान से माध्यमिक शिक्षा तथा अन्य शासकीय विभागों द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रश्नोत्तरी (क्विज), वाद–विवाद, भाषण, निबन्ध लेखन, गायन/वादन, चित्रकला, विज्ञान प्रदर्शनी, एकांकी एवं लघु नाटिका में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा प्रतिभाग किया जाना–अधिकतम अंक–3 राष्ट्रीय स्तर–3 अंक राज्य स्तर–2 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण–पत्र	3
साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण 5			**कुल अंक–5**
1	विषय/सामान्य ज्ञान	2	2
2	अभिव्यक्ति की योग्यता	2	2
3	व्यक्तित्व परीक्षण	1	1

		विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा प्रवेश समिति/विकास समिति/छात्रवृत्ति समिति में प्रभारी अथवा सदस्य के रूप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिये –01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा अनुशासन समित/कीडा समिति/स्काउट गाइड के प्रभारी अथवा सहयोगी के रूप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा सांस्कृतिक समिति के प्रभारी अथवा सहयोगी के रूप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा स्वच्छता समिति/जलपान समिति/मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभारी अथवा सहयोगी के रूप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा वाचनालय समिति/पत्र पत्रिका प्रकाशन समिति के प्रभारी अथवा सहयोगी के रूप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षो में विद्यालय में रेडक्रास/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के कार्यक्रमों के आयोजन में प्रभारी अथवा सहयोगी के रूप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा शैक्षिक समिति/परीक्षा समिति/विज्ञान समिति में प्रभारी अथवा सहयोगी के	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य	03

Ar.

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

		रूप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	का प्रमाण पत्र	
		योग		60

1. भाषा शिक्षक के लिए मूल्यांकन मानक(हिन्दी अथवा अन्य भाषा शिक्षक)

1	साहित्यिक प्रतियोगितायें	विगत 03 वर्षो में वाद विवाद/निबंध लेखन/सुलेख प्रतियोगिता आदि का अयोजन कराना– (प्रत्येक वर्ष के लिये –01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/ प्रमाण पत्र	03
2	पत्र पत्रिका का प्रकाशन	विगत 03 वर्षो में विद्यालय में पत्र पत्रिका का प्रकाशन कराना। (प्रत्येक वर्ष के लिये –01 अंक)	सुसंगत अभिलेख/ प्रकाशित पत्र पत्रिकायें	03
3	महीयषी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा महीयषी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करना 1. राज्य स्तर–03 अंक 2. मण्डल स्तर–02 अंक 3. जनपद स्तर–01 अंक	प्रमण पत्र	03
4	डा0 सम्पूर्णानन्द वाद विवाद प्रतियोगिता	वगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा डा0 सम्पूर्णानन्द वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करना। 1. राज्य स्तर–03 अंक 2. मण्डल स्तर–02 अंक 3. जनपद स्तर–01 अंक	प्रमाण पत्र	03
		योग		12

2. गणित शिक्षक के लिये मूल्यांकन मानक

1	गणित की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन	विगत 03 वर्षो में विद्यार्थियों को गणित ओलम्पियाड की तैयारी हेतु गणित की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना–(प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/ प्रमाण पत्र	03

क्र0	शांसनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

2	गणित ओलम्पियाड	विगत 03 वर्षो में विद्यार्थियों द्वारा गणित ओलम्पियाड में प्रतिभाग करना– (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	सुसंगत अभिलेख	03
		विगत 03 वर्षो में विद्यार्थियों द्वारा गणित ओलम्पियाड में पुरस्कार प्राप्त करना– (प्रत्येक वर्ष के लिये–02 अंक)	प्रमाण पत्र	06
		योग		12

3. विज्ञान वर्ग के शिक्षक के लिये मूल्यांकन मानक

1	विज्ञान प्रर्दशनी/प्रतियोगिताओं का आयोजन	विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा विद्यालय में विज्ञान प्रर्दशनी/प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना–(प्रत्येक वर्ष के लिये–02 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	06
2	इंस्पायर अवार्ड–मानक योजना	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के सहयोग/प्रेरणा से इंस्पायर अवार्ड–मानक योजना में पुरस्कार प्राप्त करना– 1. राष्ट्रीय स्तर –06 अंक 2. राज्य स्तर –04 अंक 3. जनपद स्तर – 02 अंक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	06
		योग–		12

3. मानविकी वर्ग के शिक्षक के लिये मूल्यांकन मानक

1	शैक्षिक भ्रमण	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	03
2	प्रोजेक्ट कार्य	विगत 03 वर्षो में विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–02 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	06
3	लोकहित में जन जागरूकता कार्यक्रम	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लोकहित में जन	कार्यक्रम आयोजन के	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

		जागरूकता कार्यक्रम चलाना (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	अभिलेख/प्रमाण पत्र	
		योग		12

5. कृषि, वाणिज्य, कला, संगीत तथा व्यायाम शिक्षक के लिये मूल्याकन मानक

(क–कृषि शिक्षक)

1	कृषि प्रदर्शनी/प्रतियोगिताओं का आयोजन	विगत 03 वर्षो में शिक्षक द्वारा विद्यालय में कृषि प्रर्दशनी/प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–02 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	06
2	इंस्पायर अवार्ड–मानक योजना	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के सहयोग/प्रेरणा से इंस्पायर अवार्ड–मानक योजना में पुरस्कार प्राप्त करना– 1.राष्ट्रीय स्तर–06 अंक 2. राज्य स्तर–04 अंक 3. जनपद स्तर–02 अंक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	06
		योग		12

(ख) वाणिज्य शिक्षक

1	शैक्षिक भ्रमण	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	03
2	प्रोजेक्ट कार्य	विगत 03 वर्षो में विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना–(प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	06
3	लोकहित में जनजागरूकता कार्यक्रम	विगत 03 वर्षो में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लोकहित में जनजागरूकता कार्यक्रम चलाना (प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	03
		योग		12

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3
		(ग) कला शिक्षक के लिये मूल्यांकन मानक

1	कला प्रतियोगिता	विगत 03 वर्षो में शैक्षिक पंचाग एवं विद्यालय समय सारणी के अनुसार कला प्रतियोगिताए/गतिविधियां कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	शिक्षक डायरी/पाठ्य योजना	03
2	वाल राइटिंग तथा वाल पेंटिंग	विगत 03 वर्षो में भवन/परिसर में वाल राइटिंग तथा वाल पेंटिंग कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	फोटोग्राफ/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
3	कला उत्सव	विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	03
		विगत 03 वर्षो में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में विद्यालय के विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वार पुरस्कार प्राप्त किया जाना– 1 .राष्ट्रीय स्तर–3 अंक 2. राज्य स्तर–2 अंक 3. जनपद स्तर–1 अंक	कार्यक्रम आयोजन का रिकार्ड/प्रमाण पत्र	03
		योग		12

(घ)–संगीत शिक्षक के लिये मूल्यांकन मानक

1	सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं	विगत 03 वर्षो में विद्यालय में शैक्षिक पंचाग एवं समय सारणी के अनुसार सांस्कृतिक प्रतियोगिता/गतिविधिया कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये–1 अंक)	शिक्षक डायरी/पाठ्य योजना	03
2	प्रार्थना सभा	विगत 03 वर्षो में विद्यालय में प्रतिदिन वाद्य यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के साथ प्रार्थना सभा कराना (प्रत्येक	प्रतियोगिताओं के अभिलेख	03

क्र0	शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु निर्धारित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
1	2	3

		वर्ष के लिये–1 अंक)		
3	कला उत्सव	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये– 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/ प्रमाण पत्र	3
		विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में विद्यालय के विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना 1. राष्ट्रीय स्तर –3 अंक 2. राज्य स्तर –2 अंक 3. जनपद स्तर –1 अंक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण पत्र	03
		योग		12

(ड.) व्यायाम शिक्षक के लिये मूल्यांकन मानक

1	दैनिक खेल गतिविधियां	विगत 03 वर्षों में शैक्षिक पंचाग एवं विद्यालय समय सारणी के अनुसार खेल गतिविधियां कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये –01 अंक)	शिक्षक डायरी/ पाठ्य योजना	03
2	वार्षिक खेलकूद	विगत 03 वर्षों में वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का विद्यालय स्तर पर आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिये –01 अंक)	खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन/ अभिलेख	03
3	खेलकूद में पुरस्कार प्राप्त करना	विगत 03 वर्षों में खेल प्रतियोगताओं में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर –6 अंक 2. राज्य स्तर –4 अंक 3. जनपद स्तर –2 अंक	प्रमाण पत्र	06
		योग		12

साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण

1		विषय/सामान्य ज्ञान	–	8
2		अभिव्यक्ति की योग्यता	–	8
3		वयक्तित्व परीक्षण	–	4
		योग		20
		महायोग–		120

संलग्नक–2

मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध मे।

	शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)		नवीन व्यवस्था (2)
1	वित्तविहीन विद्यालयों के स्ववित्तपोषित शिक्षकगण को पुरस्कृत किये जाने हेतु मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना होगी।	1–	मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्रदान करने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज से मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित हाईस्कूल/इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक के चयन पर विचार किया जायेगा।
2	उक्त पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 25 दिसम्बर अथवा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित तिथि को दिया जायेगा।	2–	**शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर के अवसर पर दिया जायेगा।**
3	वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या अत्यधिक होने के दृष्टिगत उक्त विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकगण की संख्या भी अत्यधिक है। इस आधार पर प्रति मण्डल (कुल 18 मण्डल) एक शिक्षक अर्थात 18 शिक्षकों को उक्त पुरस्कार में सम्मिलित किया जायेगा।	3–	मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार प्रत्येक मण्डल से 01 प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को दिया जायेगा अर्थात पुरस्कारों की कुल संख्या 18 होगी।
		4–	**मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु चयनित प्रति प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक को सम्मान स्वरूप रू0 25,000/–(रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि, शॉल, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान की जायेगी।**
4	वित्तविहीन शिक्षकगण को उक्त पुरस्कार के लिये चयनित किये जाने हेतु मण्डल/राज्य स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जाती हैं:–	5–	मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु पात्र स्व वित्तपोषित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के चयन हेतु निम्नवत चयन समिति गठित की जायेगी :–

(1) —

(2) जनपद स्तरीय चयन समिति

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी।	सदस्य
3	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।	सदस्य
4	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
5	जनपद मुख्यालय के राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या	सदस्य
6	स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का एक प्रधानाचार्य, जो स्वंय आवेदक न हो।	सदस्य

(1) मण्डल स्तरः–

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	सदस्य सचिव

(2) मण्डल स्तरीय चयन समिति

1	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	सदस्य सचिव

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

(1) शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था।

3	संबंधित मण्डलीय जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक।	सदस्य

3– वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकगण जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करेगें, जिसे सदस्य सचिव संस्तुति सहित प्रतिहस्ताक्षरित कर मण्डलीय समिति में प्रस्तुत करेगें। मण्डलीय समिति 03 शिक्षकों के संबंध में अपनी संस्तुति राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ शिक्षा निदेशक(मा0) उ0प्र0 को प्रेषित करेगे।

राज्य स्तर :–

1	प्रमुख सचिव/सचिव,मा0शि0वि0 उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव,मा0शि0वि0 उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव मण्डलीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष संबंधित शिक्षकगण के पूर्ण अभिलेख/विवरण प्रसतुत करेगें। उक्त के आधार पर राज्य चयन समिति द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु अन्तिम रूप से संस्तुति प्रदान की जायेगी।

4– मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु चयनित प्रति शिक्षक को सम्मान स्वरूप रू0 25,000/ (रू0 पच्चीस हजार मात्र)की धनराशि प्रदान की जायेगी।

—

(2) नवीन व्यवस्था

3	संबंधित जनपद का जिला विद्यालय निरीक्षक।	सदस्य
4	स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का एक प्रधानाचार्य, जो स्वंय आवेदक न हो।	सदस्य

निदेशालय स्तरीय चयन समिति

1	शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0।	–	अध्यक्ष
2	अपर शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 प्रयागराज।	–	सदस्य
3	अपर शिक्षा निदेशक(राज0), उ0प्र0 प्रयागराज।	–	सदस्य
4	संयुक्त शिक्षा निदेशक(शिविर), शिविर कार्यालय उ0प्र0, लखनऊ	–	सदस्य सचिव
5	सचिव, उ0प्र0 मा0शि0परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।	–	सदस्य

राज्य चयन समिति

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3	संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4	निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य
5	शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0	सदस्य सचिव

मण्डलीय समिति की संस्तुतियों के आधार पर राज्य चयन समिति के समक्ष सदस्य सचिव संबंधित शिक्षकगण के पूर्ण अभिलेख/विवरण प्रस्तुत करेगे। उक्त के आधार पर राज्य चयन समिति द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु अन्तिम रूप से संस्तुति प्रदान की जायेगी।

6– मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु चयनित प्रति शिक्षक को सम्मान स्वरूप रू0 25,000/ (रू0 पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान की जायेगी।

7 प्रत्येक शैक्षिक सत्र. के लिये मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार क चयन निम्नाकिंत समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा :–

1	ऑनलाइन आवेदन	01 जून से 15 जून तक
2	जनपदीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर पात्र	16 जून से 05 जुलाई तक

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

(1) शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था

5– मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना हेतु वित्तविहीन शिक्षक की **अर्हता** निम्नवत होगी:–

1) पुरस्कार हेतु वही शिक्षक अर्ह होगें, जिनकी नियुक्ति तत्समयनिर्धारित प्रक्रिया अथवा शिक्षा अनुभाग–7 के शासनादेश दिनांक 10 अगस्त, 2001 द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार हुई हों।

2) वित्तविहीन शिक्षकगण के लिये 15 वर्ष के नियमित शिक्षण का अनुभव तथा प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचायों के लिये 20 वर्ष के नियमित शिक्षण का अनुभव आवश्यक होगा।

3) चयन हेतु शिक्षकों का मूल्यांकन एक मूल्यांकन सारणी के आधार पर किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत है:–

(1) वस्तुपरक मापदण्ड – 20 अंक
(2) प्रदर्शन आधारित मापदण्ड – 80 अंक
चयन हेतु कुल अंक – 100 अंक

प्रस्तर–4(3) में उल्लिखित उक्त दोनो अंको का निर्धारण निम्नवत मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा :–

वर्ग ए– वस्तुपरक–मापदण्ड		
क्र	मानक	अधिकतम अंक/कटआफ
1	विद्यालय के भौतिक अवस्थापना, कम्प्यूटर, कोष, पाठ्यपुस्तक इत्यादि में सहयोग करने के लिये समुदाय, अभिभावक एवं पूर्व छात्रों को प्रोत्साहित करने में शिक्षक द्वारा किया गया प्रयास।	2
2	शिक्षक द्वारा विगत 5 वर्षो में अर्न्तराष्ट्रीय/ राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र, लेख, पुस्तक	3

(2) नवीन व्यवस्था

	अध्यापकों का चयन कर मण्डलीय समिति को प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित करना	
3	मण्डलीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति को ऑललाइन प्रस्ताव प्रेषित करना	06 जुलाई से 20 जुलाई तक
4	निदेशालय स्तरीय समिति द्वारा पात्र अध्यापकों का चयन कर राज्य चयन समिति को आनलाइन प्रस्ताव प्रेषित करना।	21 जुलाई से 05 अगस्त तक
5	राज्य स्तरीय समिति द्वारा चयन की कार्यवाही	06 अगस्त से 20 अगस्त तक

8 ऑनलाईन वेबसाईट **http://madhyamikshiksha.upsdc.gov.in//**

9 अर्हताएं :–

- प्रधानाचार्यो/प्रधानाध्यापकों के लिये कुल सेवा अवधि 15 वर्ष होगी, जिसमें से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली गयी हों।
- अध्यापकों के लिये 10 वर्ष सेवाअवधि मान्य होगी।
- अवधि की गणना आवेदन वर्ष के पूर्व शैक्षिक सत्र के अन्तिम दिवस अर्थात 31 मार्च को आगणित की जायेगी
- मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु वही शिक्षक अर्ह होगें जिनकी नियुक्ति तत्समय निर्धारित प्रक्रिया अथवा शिक्षा अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–ई0एम0–1443/15–7–2001(9)/2000 दिनांक 10–08–2001 द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार हुई हों।

मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु प्रधानाचार्य के लिये मूल्यांकन मानक।

विद्यालय प्रबंधन

क्र	मानक बिन्दु	मूल्यांकन अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
1	विद्यालय में छात्र नामांकन	विगत 05 वर्षो में विद्यालय का औसत छात्र नामांकन (कक्षा- 9 से 12 तक) - 1. 250 - 500 छात्र नामांकन होने पर - 01 अंक 2. 501 - 750 छात्र नामांकन होने पर - 02 अंक 3. 750 से अधिक छात्र नामांकन होने पर - 03 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर, छात्र निधियों के अभिलेख / बोर्ड में पंजीकरण	03

A.

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	

	इत्यादि हेतु।	
3	संबंधित शिक्षक का वार्षिक प्रदर्शन, मूल्यांकन रिपोर्ट या अन्य प्रर्दशन हेतु।	3
4.	संबंधित शिक्षक की बिना किसी शिकायत के नियमित उपस्थिति हेतु।	3
5	शिक्षक द्वारा विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु।	2
6	विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा छात्रों क विद्यालय छोड़ने की दर कम करने हेतु शिक्षक द्वारा किये गये प्रयास हेतु।	2
7	शिक्षक द्वार स्वंय पोर्टल अथव किसी अन्य अध्यापक प्रशिक्षण मंच से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु।	2
8	पाठ्य पुस्तक शिक्षक हस्तपुस्तिका, ई–कन्टेन्ट इत्यादि के विकास में शिक्षक द्वारा किये गये प्रयास हेतु।	2
	वर्ग –1 का कुल अंक	20

वर्ग 2– प्रदर्शन आधारित–मापदण्ड		
क्र	मानक	अधिकतम अंक / कटआफ
1	सूचना एवं संचार तकनीकि का प्रयोग सीखने की रोचक कला इत्यादि का विकास, जिससे छात्रों को सीखने की क्षमता में वृद्धि हो सके। छात्रों के शिक्षण के नये दृष्टिकोण तथा पाठ्य सामग्री के विकास हेतु।	30
2	पाठ्येत्तर एवं पाठ्यक्रम सम्बद्व गतिविधियों के आयोजन हेतु।	25
3	(1) स्कूल अवस्थापना के विकास हेतु समाज में गतिशीलता लाने का प्रयास तथा छात्रों की समाजिक जागरूकता बढ़ाये जाने के संबंध में शिक्षक द्वारा किये गयें प्रयास हेतु। (2) राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के विकास के संबंध में शिक्षक द्वारा किये गये प्रयास हेतु।	25
	वर्ग–2 का कुल अंक	80
	वर्ग–1 एवं 2 को सम्मिलित करते हुये पुरस्कार चयन हेतु निर्धारित कुल अंक	100

नवीन व्यवस्था (2)				
2.	विद्यालय में छात्र नामांकन में वृद्धि	विगत 05 वर्षों में विद्यालय के छात्र नामांकन (कक्षा- 9 से 12 तक) में औसत वृद्धि - **1. 05 - 35 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 01 अंक** **2. 36 - 75 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 02 अंक** **3. 75 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 03 अंक**	छात्र नामांकन रजिस्टर / छात्र निधियों के अभिलेख / बोर्ड में पंजीकरण	03
3.	विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में छात्रों की औसत उपस्थिति - **1. 85 - 89 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर - 01 अंक** **2. 90 - 95 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर - 02 अंक** **3. 95 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति होने पर - 03 अंक**	4-	03
4	विद्यालय में प्रधानाचार्य की उपस्थिति	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में प्रधानाचार्य की कार्यदिवस में औसत उपस्थिति - **1. 230 - 239 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर - 01 अंक** **2. 239 से अधिक विद्यालय में औसत उपस्थिति पर - 02 अंक**	उपस्थिति रजिस्टर	02
5	विद्यालय में पुराछात्र संघ / समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना का विकास	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में पुराछात्र संघ / समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना का विकास (संसाधनों की वृद्धि) करने पर - **1. 02 - 05 लाख रुपये तक के कार्य कराने पर - 01 अंक** **2. 06 - 15 लाख रुपये तक के कार्य कराने पर - 02 अंक** **3. 15 लाख रुपये से अधिक के कार्य कराने पर पर - 03 अंक**	धनराशि प्राप्ति तथा व्यय के अभिलेख एवं विद्यालय में कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ	03
6	पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग	प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में - 1- पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना 2- विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग कराना 3- शिक्षकों द्वारा पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग कराना	वाचनालय के अभिलेख - 1- प्रतिवर्ष न्यूनतम 30 पुस्तकें तथा नियमित रुप से न्यूनतम 4 - 4 समाचार पत्र व पत्रिकाएं खरीदने संबंधी अभिलेख 2- पुस्तकालय सदस्यता कार्ड 3- पुस्तक जारी करने का रजिस्टर	01
7	शिक्षक डायरी बनवाना	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक की शिक्षक डायरी बनवान (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	शिक्षक डायरी	03

A.

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

8	शिक्षण में टी0 एल0 एम0 (Teaching Learning Material) का प्रयोग	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक शिक्षक से प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार कराकर उसके अनुरुप टी0 एल0 एम0 का प्रयोग कराना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	पाठ्य योजना एवं टी0एल0एम0	03
9	प्रार्थना सभा का आयोजन	प्रत्येक शैक्षिक दिवस पर विद्यालय समय से 2मिनट पूर्व 0 प्रार्थना सभा का आयोजन तथा - 1. प्रार्थना सभा हेतु उपयुक्त उपकरणों (लाउडस्पीकर, हारमोनियम, ढोल आदि) का प्रयोग 2. प्रार्थना सभा में नियमित रुप से प्रार्थना, सुविचार, मुख्य समाचार, प्रेरक प्रसंग, प्रश्नोत्तरी आदि पर चर्चा / गतिविधियाँ कराना 3. प्रार्थना सभा स्थल की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कराना	प्रार्थना सभा के सुसंगत अभिलेख एवं उपकरण	01
10	पेयजल की उपलब्धता	बालक / बालिकाओं के लिए पाईप-लाइन वाटर सप्लाई द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता	फोटोग्राफ	01
11	शौचालय की उपलब्धता	बालक / बालिकाओं तथा विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता	फोटोग्राफ	01
12	विद्युत की उपलब्धता	विद्यालय भवन में हवा तथा रोशनी हेतु विद्युत की उचित व्यवस्था	विद्यालय भवन की फोटोग्राफ	01
13	रैम्प की उपलब्धता	विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार रैम्प की उपलब्धता	विद्यालय भवन की फोटोग्राफ	01
14	विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना	विद्यालय के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना	स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी अभिलेख	01
15	आवेदक द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये विशेष प्रयास	विगत पांच वर्षो में राष्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध–पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन– (प्रत्येक शोध/पुस्तक के लिए–1 अंक) **अथवा** ऑनलाइन पठन–पाठन हेतु वीडियो का निर्माण, जिनका राज्य स्तर से चयन दूरदर्शन/स्वयंप्रभा चैनल पर प्रसारण हेतु हुआ- (03 वीडियो का विकास कराने पर 01 अंक)।	प्रकाशित शोध–पत्र तथा पुस्तकं अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International standerd book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-INDIAN Broadcasting Network) सहित वीडियो/ चयन सम्बन्धी अभिलेख	02
		योग		29

विद्यालय प्रदर्शन

क्र	मानक बिन्दु	मूल्यांकन अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)				
	1	विद्यालय का परीक्षाफल	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा में विद्यालय का परीक्षाफल – 95 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)। 90 प्रतिशत से अधिक व 95 प्रतिशत तक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)।	बोर्ड परीक्षाफल	06
			विगत 03 वर्षों में माध्यमिक ि ाक्षा परिशद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित इण्टरमीडिएट परीक्षा में विद्यालय का परीक्षाफल – 95 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)। 90 प्रतिशत से अधिक व 95 प्रतिशत तक (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)।	बोर्ड परीक्षाफल	06
	2.	राज्य स्तर की मेरिट में स्थान	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	05
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0 प्रयागराज की इण्टरमीडिएट परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	05
	3	जनपद स्तर की मेरिट में स्थान	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिश्ष्द, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल परीक्षा में जनपद स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	03
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0 प्रयागराज की इण्टरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	03
	4	राश्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन	विगत 03 वर्षों में राश्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थियों का चयन। (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	03
	5.	स्मारिका का प्रकाशन	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में पत्रिका का ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रकाशन (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	प्रकाशित पत्रिका एवं अन्य साक्ष्य	03
	6.	पुराछात्र सम्मेलन का आयोजन	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर पुराछात्र	पुराछात्र सम्मेलन के अभिलेख	03

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)				
			सम्मेलन का आयोजन (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)		
	7.	वार्षिकोत्सव का आयोजन	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	वार्षिकोत्सव के अभिलेख	03
	8.	कला उत्सव का आयोजन	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख /प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में विद्यालय के विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना- 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण–पत्र	03
	9	पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
			विगत 03 वर्षों में विभिन्न खेल गतिविधियों में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय में स्काउट-गाइड / रेडक्रास / एन0 सी0 सी0 / एन0 एस0 एस0 कार्यक्रमों का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
			विगत 03 वर्षों में स्काउट-गाइड / रेडक्रास 0सी 0सी 0एन / एन 0एस 0एस 0के कार्यक्रमों में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3 जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में महीयषी महादेवी वर्मा एवंअथवा / डॉ0 सम्पूर्णानन्द वाद–विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राज्य स्तर– 4 अंक 2. मण्डल स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण–पत्र	04
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी / प्रतियोगिता का आयोजन (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

		विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थी/टीम द्वारा इंस्पायर अवार्ड / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी / राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण–पत्र	03
		विगत 03 वर्षों में विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
		योग		71
	साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण			
1		विषय/सामान्य ज्ञान	–	8
2		अभिव्यक्ति की योग्यता	–	8
3		व्यक्तित्व परीक्षण	–	4
		योग		20
		महायोग		120

मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु प्रधानाध्यापक के लिये मूल्यांकन मानक।

विद्यालय प्रबंधन

क्र	मानक बिन्दु	मूल्यांकन अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
1	विद्यालय में छात्र नामांकन	विगत 05 वर्षों में विद्यालय का औसत छात्र नामांकन (कक्षा- 9 से 12 तक) - 1. 150 - 300 छात्र नामांकन होने पर - 01 अंक 2. 301 - 500 छात्र नामांकन होने पर - 02 अंक 3. 500 से अधिक छात्र नामांकन होने पर - 03 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर / छात्र निधियों के अभिलेख / बोर्ड में पंजीकरण	03
2.	विद्यालय में छात्र नामांकन में वृद्धि	विगत 05 वर्षों में विद्यालय के छात्र नामांकन (कक्षा- 9 से 10 तक) में औसत वृद्धि - 1. 05 - 35 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 01 अंक 2. 36 - 75 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 02 अंक 3. 75 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 03 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर / छात्र निधियों के अभिलेख / बोर्ड में पंजीकरण	03
3.	विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में छात्रों की औसत उपस्थिति - 1. 85 - 89 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर - 01 अंक 2. 90 - 95 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर - 02 अंक 3- 95 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति होने पर - 03 अंक	छात्र उपस्थिति रजिस्टर	03
4.	विद्यालय में प्रधानाध्यापक की	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में प्रधानाध्यापक की कार्यदिवस में औसत	उपस्थिति रजिस्टर	02

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)				
		उपस्थिति	उपस्थिति - 1. 230 - 239 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर - 01अंक 2. 239 से अधिक विद्यालय में औसत उपस्थिति पर - 02 अंक		
	5	विद्यालय में पुराछात्र संघ / समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना का विकास	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में पुराछात्र संघ / समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना का विकास (संसाधनों की वृद्धि) करने पर - 1. 02 - 05 लाख रुपये तक के कार्य कराने पर - 01 अंक 2. 06 - 15 लाख रुपये तक के कार्य कराने पर - 02 अंक 3. 15 लाख रुपये से अधिक के कार्य कराने पर पर - 03 अंक	धनराशि प्राप्ति तथा व्यय के अभिलेख एवं विद्यालय में कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ	03
	6	पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग	प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में - 1- पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना 2- विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग कराना शिक्षकों द्वारा पुस्तकालय / वाचनालय का प्रयोग कराना	वाचनालय के अभिलेख - 1- प्रतिवर्ष न्यूनतम 30 पुस्तकें तथा नियमित रुप से न्यूनतम 4 - 4 समाचार पत्र व पत्रिकाएं खरीदने संबंधी अभिलेख 2- पुस्तकालय सदस्यता कार्ड 3- पुस्तक जारी करने का रजिस्टर	01
	7	शिक्षक डायरी बनवाना	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक की शिक्षक डायरी बनवाना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	शिक्षक डायरी	03
	8	शिक्षण में टी0 एल0 एम0 (Teaching Learning Material) का प्रयोग	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक शिक्षक से प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार कराकर उसके अनुरुप टी0 एल0 एम0 का प्रयोग कराना प्रत्येक) वर्ष हेतु 01 (अंक	पाठ्य योजना / टी0 एल0 एम0	03
	9	प्रार्थना सभा का आयोजन	प्रत्येक शैक्षिक दिवस पर विद्यालय समय से 2मिनट पूर्व प्रार्थना सभा का 0 आयोजन तथा - 1. प्रार्थना सभा हेतु उपरयुक्त उपकरणों (लाउडस्पीकर, हारमोनियम, ढोल आदि) का प्रयोग 2. प्रार्थना सभा में नियमित रुप से प्रार्थना, सुविचार, मुख्य समाचार, प्रेरक प्रसंग, प्रश्नोत्तरी आदि पर चर्चा / गतिविधियाँ कराना 3. प्रार्थना सभा स्थल की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कराना	प्रार्थना सभा के सुसंगत अभिलेख एवं उपकरण	01
	10	पेयजल की उपलब्धता	बालक / बालिकाओं के लिए पाईप-लाइन वाटर सप्लाई द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता	फोटोग्राफ	01
	11	शौचालय की उपलब्धता	बालक / बालिकाओं तथा विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता	फोटोग्राफ	01
	12	विद्युत की उपलब्धता	विद्यालय भवन में हवा तथा रोशनी हेतु विद्युत की उचित व्यवस्था	विद्यालय भवन की फोटोग्राफ	01

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

13	रैम्प की उपलब्धता	विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं की सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार रैम्प की उपलब्धता	विद्यालय भवन की फोटोग्राफ	01
14	विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना	विद्यालय के छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराना	स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी अभिलेख	01
15	आवेदक द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये विशेष प्रयास	विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध–पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन– **(प्रत्येक शोध/पुस्तक के लिए–1 अंक)** **अथवा** ऑनलाइन पठन–पाठन हेतु वीडियो का निर्माण, जिनका राज्य स्तर से चयन दूरदर्शन/स्वयंप्रभा चैनल पर प्रसारण हेतु हुआ- **(03 वीडियो का विकास कराने पर 01 अंक)।**	प्रका ात भोध–पत्र तथा पुस्तकं अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International standerd book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-INDIAN Broadcasting Network) सहित वीडियो/ चयन सम्बन्धी अभिलेख	02
16		योग		29

विद्यालय प्रदर्शन

1	विद्यालय का परीक्षाफल	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित हाईस्कूल परीक्षा में विद्यालय का परीक्षाफल – **95 प्रति ात से अधिक (प्रत्येक वर्ष के लिए 4 अंक)।** **90 प्रतिशत से अधिक व 95 प्रतिशत तक (प्रत्येक वर्श के लिए 2 अंक)।**	बोर्ड परीक्षाफल	12
2	राज्य स्तर की मेरिट में स्थान	1. विगत 03 वर्षों में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0, प्रयागराज की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	
		2. विगत 03 वर्षों में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0, प्रयागराज की इण्टर परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	5
3	जनपद स्तर की मेरिट में स्थान	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल परीक्षा में जनपद स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	06
4	राश्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन	विगत 03 वर्षों में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थियों का चयन। **(प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)**	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	03
5	स्मारिका का प्रकाशन	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में पत्रिका का	प्रकाशित पत्रिका	03

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)				
			ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रकाशन (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	एवं अन्य साक्ष्य	
	6	पुराछात्र सम्मेलन का आयोजन	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर पुराछात्र सम्मेलन का आयोजन (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	पुराछात्र सम्मेलन के अभिलेख	03
	7	वार्षिकोत्सव का आयोजन	विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष विद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	वार्षिकोत्सव के अभिलेख	03
	8.	कला उत्सव का आयोजन	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
			विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में जनपद तथा राज्य स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थी विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना- 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण-पत्र	03
	9	पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
			विगत 03 वर्षों में विभिन्न खेल गतिविधियों में विद्यालय के विद्यार्थी / टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण-पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय में स्काउट-गाइड / रेडक्रास / एस0 सी0 सी0 / एन0 एस0 एस0 कार्यक्रमों का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्श के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
			विगत 03 वर्षों में स्काउट–गाइड / / 0सी 0सी 0एस /रेडक्रास एन0एस 0 एस 0के कार्यक्रमों में विद्यालय के विद्यार्थी / टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण-पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में महीयषी महादेवी वर्मा एवं / अथवा डॉ0 सम्पूर्णानन्द वाद–विवाद प्रतियोगिता में विद्यालय के विद्यार्थी / टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राज्य स्तर– 4 अंक 2. मण्डल स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	प्रमाण-पत्र	04
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी / प्रतियोगिता का आयोजन (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थी / टीम द्वारा इंस्पायर अवार्ड / राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी / राज्य	प्रमाण-पत्र	03

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

		विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक		
		विगत 03 वर्षों में विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 01 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख	03
		योग		71
साक्षात्कार / प्रस्तुतीकरण				
1		विषय / सामान्य ज्ञान	-	8
2		अभिव्यक्ति की योग्यता	-	8
3		वयक्तित्व परीक्षण	-	4
			योग	20
			महायोग	120

मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु अध्यापक के लिये मूल्यांकन मानक।

A- कक्षा प्रबन्धन

क्र	मानक बिन्दु	मूल्यांकन अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
1	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षों में छात्र नामांकन में औसत वृद्धि	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षों में औसत छात्र नामांकन वृद्धि - 1. 05 - 35 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 01 अंक 2. 36 - 75 प्रतिशत छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 02 अंक 3. 75 प्रतिशत से अधिक छात्र नामांकन वृद्धि होने पर - 03 अंक	छात्र नामांकन रजिस्टर	03
2	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षों में छात्रों की औसत उपस्थिति	अध्यापित विषय में विगत 05 वर्षों में छात्रों की औसत उपस्थिति - 1. 85 - 89 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर - 01 अंक 1. 90 - 95 प्रतिशत औसत उपस्थिति होने पर - 02 अंक 3. 95 प्रतिशत से अधिक औसत उपस्थिति होने पर - 03 अंक	छात्र उपस्थिति रजिस्टर	03
3	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में शिक्षक की औसत उपस्थिति	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में शिक्षक की कार्यदिवस में औसत उपस्थिति - 1. 220 - 229 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर - 01 अंक 2. 230 - 239 विद्यालय में औसत उपस्थिति पर - 02 अंक 3. 239 से अधिक विद्यालय में औसत उपस्थिति पर - 03 अंक	उपस्थिति रजिस्टर	03
4	विगत 05 वर्षों में शिक्षक अभिभावक संघ/पुराछात्र संघ/समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना विकास में सहयोग	विगत 05 वर्षों में विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ / पुराछात्र संघ / समुदाय के सहयोग से आधारभूत संरचना का विकास (संसाधनों की वृद्धि) करने पर - 1. 01 - 02 लाख रुपये तक के कार्य कराने पर - 01 अंक 2. 02 - 06 लाख रुपये तक के कार्य कराने पर - 02 अंक	धनराशि प्राप्ति तथा व्यय के अभिलेख, विद्यालय में कराये गये कार्यों के फोटोग्राफ एवं प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र	03

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

		3. 06 लाख रुपये से अधिक के कार्य कराने पर पर - 03 अंक		
5	छात्र प्रगति पत्र	विगत 03 वर्षों में अध्यापित विषय के सभी छात्रों का प्रगति पत्र बनाना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	प्रगति पत्र	03
6	शिक्षक डायरी	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा शिक्षक डायरी बनाना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	शिक्षक डायरी	03
7	उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) की व्यवस्था	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा न्यून अधिगम के विद्यार्थियों का चिन्हांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना (अंक 01हेतु प्रत्येक वर्ष)	शिक्षक डायरी /उपचारात्मक शिक्षण के लिए पाठ्य योजनाएं	03
8	आवेदक द्वारा शैक्षिक उन्नयन हेतु किये गये विशेष प्रयास	निष्ठा पोर्टल तथा अन्य विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करना।	प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	03
		विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध–पत्र एवं पुस्तक प्रकाशन–(प्रत्येक शोध/पुस्तक के लिए–01 अंक) अथवा ऑनलाइन पठन–पाठन हेतु वीडियो का निर्माण, जिनका राज्य स्तर से चयन दूरदर्शन/स्वयंप्रभा चैनल पर प्रसारण हेतु चयन हुआ - (03 वीडियो का विकास कराने पर 01 अंक)।	प्रकाशित शोध–पत्र तथा पुस्तकं अन्तर्राश्ट्रीय मानक पुस्तक संस्था (ISBN-International standerd book number) भारतीय प्रसारण नेटवर्क (IBN-INDIAN Broadcasting Network) सहित वीडियो/चयन सम्बन्धी अभिलेख	04
		योग		28

B- शिक्षक प्रदर्शन

क्र	मानक बिन्दु	मूल्यांकन अंकों का विभाजन	साक्ष्य हेतु अभिलेख	अधिकतम अंक
1	विद्यालय की साफ-सफाई / सौन्दर्यीकरण में योगदान	विगत 03 वर्षों में विद्यालय/कक्षा–कक्ष की साफ–सफाई, सौन्दर्यीकरण एवं अन्य क्रिया–कलापों में योगदान करना– (प्रत्येक वर्श के लिए–1 अंक)	फोटोग्राफ/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
2	सफल अभ्यास (Best Practice's)	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा सफल अभ्यासों / नवाचारों का प्रयोग करना– (प्रत्येक सफल अभ्यास/नवाचार के लिए– 1 अंक)	अभिलेखीकरण / राइटप / फोटोग्राफ	03
3	शैक्षिक पचांग के अनुसार पठन-पाठन	विगत 03 वर्षों में शैक्षिक पंचांग एवं विद्यालय समय–सारणी के अनुसार पठन–पाठन करना– (प्रत्येक वर्ष के लिए–1 अंक)	शिक्षक डायरी/पाठ्य योजनाएं	03
4	शिक्षण में टी0 एल0 एम0 (Teaching Learning Material) का प्रयोग	विगत 03 वर्षों में अध्यापित प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक पाठ की पाठ्य योजना तैयार कराकर उसके अनुरुप टी0 एल0 एम0 का प्रयोग करना 01प्रत्येक वर्ष हेतु) (अंक	पाठ्य योजना एवं टी0 एल0 एम0	03
5	परीक्षाफल	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा	वोर्ड परीक्षाफल	15

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)				
			आयोजित हाईस्कूल/ इण्टरमीडिएट परीक्षा में अध्यापित विषय का परीक्षाफल – 1. 100 प्रतिशत परीक्षाफल (प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक) 2. 95 - 99.99 प्रतिशत परीक्षाफल (प्रत्येक वर्ष के लिए 3 अंक) 3. 90 से 94.99 प्रतिशत परीक्षाफल (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)		
	6	राज्य स्तर की मेरिट में स्थान	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा पढ़ाये गये किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल/ इण्टरमीडिए परीक्षा में राज्य स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	03
	7	जनपद स्तर की मेरिट में स्थान	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा पढ़ाये गये किसी विद्यार्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिशद, उ0प्र0 प्रयागराज की हाईस्कूल/ इण्टरमीडिए परीक्षा में जनपद स्तर की मेरिट में स्थान प्राप्त करना।	बोर्ड परीक्षाफल	03
	8	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन	विगत 03 वर्षों में राश्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाये गये विद्यार्थियों का चयन। (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	राश्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का परीक्षाफल	03
	9	पठन-पाठन एवं पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों के आयोजन में योगदान	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा पुराछात्र सम्मेलन / वार्षिकोत्सव के आयोजन / राष्ट्रीय त्यौहारों एवं महापुरुषों की जयन्ती के आयोजन में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा प्रवेश समिति / विकास समिति / छात्रवृत्ति समिति में प्रभारी अथवा सदस्य के रुप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा अनुशासन समिति / क्रीड़ा समिति / स्काउट-गाइड के प्रभारी अथवा सहयोगी के रुप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा सांस्कृतिक समिति के प्रभारी अथवा सहयोगी के रुप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा स्वच्छता समिति / जलपान समिति के प्रभारी अथवा सहयोगी के रुप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा वाचनालय समिति / पत्र-पत्रिका प्रकाशन समिति के प्रभारी अथवा सहयोगी के रुप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03
			विगत 03 वर्शों में विद्यालय में रेडक्रास/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के कार्यक्रमों का आयोजन में प्रभारी अथवा सहयोगी के रुप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)				
			विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा शैक्षिक समिति / परीक्षा समिति / विज्ञान समिति में प्रभारी अथवा सदस्य के रुप में योगदान (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रधानाचार्य का प्रमाण–पत्र	03
			योग		30
	1–भाषा शिक्षक(हिन्दी अथवा अन्य भाषा)				
	1	साहित्यिक प्रतियोगिताएं	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में वाद-विवाद /निबन्ध लेखन / सुलेख प्रतियोगिता आदि का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	03
	2	पत्र-पत्रिका का प्रकाशन	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में पत्र-पत्रिका का प्रकाशन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	सुसंगत अभिलेख / प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं	03
	3	महीयषी महादेवी वर्मा वाद-विवाद प्रतियोगिता	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा महीयषी महादेवी वर्मा वाद-विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करना 1. राज्य स्तर - 03 अंक 2. मण्डल स्तर - 02 अंक 3. जनपद स्तर - 01 अंक	प्रमाण पत्र	03
	4	डॉ0 सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगिता	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा डॉ0 सम्पूर्णानन्द वाद-विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करना 1- राज्य स्तर - 03 अंक 2- मण्डल स्तर - 02 अंक 3- जनपद स्तर - 01 अंक	प्रमाण पत्र	03
			योग		12
	2–गणित शिक्षक				
	1	गणित की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में विद्यार्थियों को गणित ओलम्पियाड की तैयारी हेतु गणित की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना - (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	03
	2	गणित ओलम्पियाड	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गणित ओलम्पियाड में प्रतिभाग करना - (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	सुसंगत अभिलेख	03
			विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गणित ओलम्पियाड में पुरस्कार प्राप्त करना - (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	प्रमाण पत्र	06
			योग		12
	3–विज्ञान वर्ग के शिक्षक				
	1	विज्ञान प्रदर्शनी / प्रतियोगिताओं का आयोजन	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी / प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना - (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	06

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

2	इंस्पायर अवार्ड - मानक योजना	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के सहयोग / प्रेरणा से इंस्पायर अवार्ड - मानक योजना में पुरस्कार प्राप्त करना - 1- राष्ट्रीय स्तर - 06 अंक 2- राज्य स्तर - 04 अंक 3- जनपद स्तर - 02 अंक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	06
		योग		12

4—मानविक वर्ग के शिक्षक

1	शैक्षिक भ्रमण	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	03
2	प्रोजेक्ट कार्य	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	06
3	लोकहित में जनजागरुकता कार्यक्रम	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लोकहित में जनजागरुकता कार्यक्रम चलाना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	03
		योग		12

5—कृषि, वाणित्य, कला, संगीत तथा व्यायाम शिक्षक

(क) कृषि शिक्षक

1	कृषि प्रदर्शनी / प्रतियोगिताओं का आयोजन	विगत 03 वर्षों में शिक्षक द्वारा विद्यालय में कृषि प्रदर्शनी / प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना - (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	06
2	इंस्पायर अवार्ड - मानक योजना	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक के सहयोग / प्रेरणा से इंस्पायर अवार्ड - मानक योजना में पुरस्कार प्राप्त करना - 1- राष्ट्रीय स्तर - 06 अंक 2- राज्य स्तर - 04 अंक 3- जनपद स्तर - 02 अंक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	06
		योग		12

(ख) वणिज्य शिक्षक

1	शैक्षिक भ्रमण	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	03
2	प्रोजेक्ट कार्य	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में प्रोजेक्ट कार्य आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	06
3	लोकहित में जनजागरुकता कार्यक्रम	विगत 03 वर्षों में विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लोकहित में जनजागरुकता कार्यक्रम चलाना (प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख / प्रमाण पत्र	03
		योग		12

(ग) कला शिक्षक

1	कला प्रतियोगताएं	विगत 03 वर्षों में भौक्षिक पंचांग एवं विद्यालय समय–सारणी के अनुसार कला प्रतियोगिताएं/ गतिविधियां कराना–(प्रत्येक वर्ष के लिए–1 अंक)	शिक्षक डायरी / पाठ्य योजना	03

A.

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

2	वाल राइटिंग तथा वाल पेंटिंग	विगत 03 वर्षों में विद्यालय भवन/परिसर में वाल राइटिंग तथा वाल पेंटिंग कराना– (प्रत्येक वर्ष के लिए–1 अंक)	फोटोग्राफ/प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र	03
3	कला उत्सव	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण–पत्र	03
		विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में विद्यालय के विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना- 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण–पत्र	03
		योग		12

(घ) संगीत शिक्षक

1	सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में शैक्षिक पंचांग एवं समय–सारणी के अनुसार सांस्कृतिक प्रतियोगिता /गतिविधियां कराना– (प्रत्येक वर्ष के लिए–1 अंक)	शिक्षक डायरी/पाठ्य योजना	03
2	प्रार्थना सभा	विगत 03 वर्षों में विद्यालय में प्रतिदिन वाद्य यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के साथ प्रार्थना सभा कराना (प्रत्येक वर्ष के लिए– 01 अंक)।	प्रतियोगिताओं के अभिलेख	03
3	कला उत्सव	विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव का विद्यालय में आयोजन कराना (अंक 01प्रत्येक वर्ष हेतु)	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण–पत्र	03
		विगत 03 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कला उत्सव में विद्यालय के विद्यार्थी/विद्यार्थी समूह द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया जाना- 1. राष्ट्रीय स्तर– 3 अंक 2. राज्य स्तर– 2 अंक 3. जनपद स्तर– 1 अंक	कार्यक्रम आयोजन के अभिलेख/प्रमाण–पत्र	03
		योग		12

(ङ.) व्यायाम शिक्षक

1	दैनिक खेल गतिविधियां	विगत 03 वर्षों में शैक्षिक पंचांग एवं विद्यालय समय–सारणी के अनुसार खेल गतिविधियां कराना–(प्रत्येक वर्ष के लिए–1 अंक)	शिक्षक डायरी/पाठ्य योजना	03
2	वार्षिक खेलकूद	विगत 03 वर्षों में वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं का विद्यालय स्तर पर आयोजन करना (प्रत्येक वर्ष के लिए 01 अंक)	खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के अभिलेख	03

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)

3	खेलकूद में पुरस्कार प्राप्त करना	विगत 03 वर्षों में खेल प्रतियोगिताओं में विद्यालय के किसी विद्यार्थी/टीम द्वारा पुरस्कार प्राप्त करना 1. राष्ट्रीय स्तर - 06 अंक 2. राज्य स्तर - 04 अंक 3. जनपद स्तर - 02 अंक	प्रमाण पत्र	06
		योग		12

साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण

1		विषय/सामान्य ज्ञान	–	8
2		अभिव्यक्ति की योग्यता	–	8
3		व्यक्तित्व परीक्षण	–	4
		योग		20
		महायोग		120

11. दिशा–निर्देश :– जनपदीय समिति द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार चयन की कार्यवाही निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :–

1) मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध मे अभ्यर्थियों से आवेदन प्रत्र प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिये सर्वाधिक प्रचलित 02 समाचार पत्रों में प्रदेश स्तर से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
2) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक विद्यालय का तथा आवेदक अध्यापक के विषय का गत पाँच वर्षो का बोर्ड परीक्षाफल प्रत्येक वर्ष में 90 प्रतिशत से कम न हों।
3) प्रत्येक मूल्यांकन मानक के संबंध में संगत अभिलेख/प्रमाण पत्र आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ अध्यापक द्वारा आवेदन के साथ ऑनलाइन संलग्न किया जायेगा, जिसे संस्था प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया जायेगा
4) आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मानक के संबंध में प्रस्तुत संगत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर किया जायेगा।
5) *आवेदक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हक अंक 50% निर्धारित है।* वर्णित व्यवस्थानुसार तथा मूल्यांकन के मानदण्ड हेतु निर्धारित मानक के संबंध में संगत अभिलेखों से सत्यापन के उपरान्त जनपद स्तरीय समिति श्रेष्ठतम 03 आवेदन संस्तुति सहित मण्डलीय चयन समिति को ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा ।

औचित्य– प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक /अध्यापक हेतु न्यूनतम अर्ह अंक 50% निर्धारित किये जाने से पुरस्कार हेतु उत्कृष्ठ प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का चयन किया जा सकेगा।

6) जनपदीय चयन समिति से संस्तुत आवेदनों में से मण्डलीय चयन समिति द्वारा जनपदीय चयन समिति के मूल्यांकन का परीक्षण कर सर्वश्रेष्ठ 04 आवेदन निदेशालय स्तरीय चयन समिति को संस्तुति सहित ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।
7) मण्डलीय चयन समिति से संस्तुत आवेदनों में से निदेशालय स्तरीय चयन

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)
	समिति द्वारा मण्डलीय चयन समिति के मूल्यांकन का परीक्षण कर सर्वश्रेष्ठ 02 आवेदन राज्य चयन समिति को संस्तुति सहित ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा। 8) सेवावधि का विवरण एवं कुल अध्यापन अवधि का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया जायेगा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया जायेगा। 9) प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के संचालित परीक्षाओं में यदि डिबार अथवा किसी प्रकरण में दण्डित किया गया है तो मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार हेतु अनर्ह माना जायेगा। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज से आख्या/प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही आवेदन पत्रों को संस्तुत किया जायेगा। 10) जनपदीय समिति द्वारा पुरस्कारों की संस्तुतियाँ करते समय यह सुनिश्चित कर लिया लाय कि संस्तुत प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक /अध्यापक के विरूद्व किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित अथवा प्रचलित नही है। यदि पूर्व में कोई वाद प्रचलित रहा हो तो संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ अध्यापक से न्यायालय द्वारा दंडित न किये जाने के संबंध में प्रमाण –पत्र प्राप्त कर लिया जाय तथा संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ अध्यापक के कृतित्व व्यक्तित्व एवं उत्तम ख्याति इत्यादि का भलिभाँति परीक्षण अवश्य कर लिया जाय। सामान्य ख्याति अच्छी ना पाये जाने वाले प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ अध्यापक की संस्तुति किसी भी दशा में न किया जाय। प्रतिकूल सूचना पाये जाने पर संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होगें। इस संबंध में संस्तुत आवेदन पत्रों के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक एक ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रेषित करेगें। 11) जनपदीय समिति द्वारा मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिये संस्तुत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ अध्यापक के संबंध में चरित्र सत्यापन, सामान्य ख्याति तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में स्थानीय अभिसूचना इकाई(एल0आई0यू0) से जॉच कराकर आख्या आवेदन के साथ आनलाइन प्रेषित किया जायेगा। 12) सामान्य ख्याति अच्छी होने, कोई दण्ड न दिये जाने तथा मा0 न्यायालय में कोई वाद लम्बित न होने के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रमाण पत्र तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई(एल0आई0यू0) की आख्या के बिना कोई आवेदन जनपदीय चयन समिति द्वारा संस्तुत कर प्रेषित नही किया जायेगा। 13) मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में जनपद, मण्डल,निदेशालय एवं राज्य स्तर पर साक्षात्कार किया जायेगा। साक्षात्कार के समय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा अपने उत्कृष्ट कार्यों के संबंध में प्रस्तुतीकरण (Digital presentation) किया जायेगा। 14) प्रत्येक प्रकरण के साथ जनपदीय/मण्डलीय/निदेशालय स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही संस्तुति सहित ऑनलाइन प्रेषित की जाय।

Au

शासनादेश दिनांक 20.11.2018 में निर्धारित व्यवस्था। (1)	नवीन व्यवस्था (2)
	15) पुरस्कारों के चयन में पूर्णतया गोपनीयता बरती जायेगी। 16) राज्य चयन समिति द्वारा प्रस्तुतिकरण देखने के उपरान्त योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/अध्यापक का मूल्यांकन कर पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।